### 1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1952}

# THE UTTAR PRADESH CHILDREN ACT, 1951 [U.P. ACT NO. 1 OF 1952]

## 1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम विकास अधिनियम विकास अधिनियम संख्या 1, 1952 ई0}

्उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 26 सितम्बर, 1951 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 सितम्बर, 1951 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 5 फरवरी, 1952 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और असाधारण गजट में दिनांक 19 फरवरी, 1952 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

बालकों के निरोधन (कस्टडी), अभिरक्षण (प्रोटेक्शन), इलाज और पुनर्वासन संबंधी निधि को संहत और संशोधित करने के लिये तथा अवयस्क अपराधियों के निरोधन, अभियोग की सुनवाई और दण्ड की व्यवस्था के लिये तथा उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन के लिये रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 में संशोधन करने के लिये ऐक्ट सं0 8, 1897 ई0

#### अधिनियम

बालकों के निरोधन, अभिरक्षण, इलाज और पुनर्वासन तथा अवयस्क अपराधियों के निरोधन, अभियोग की सुनवाई और दण्ड तथा उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन के लिये रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 में संशोधन की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

प्रस्तावना

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

#### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

1--(1) इस अधिनियम का नाम 1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम होगा।

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।
- (3) यह धारा और धारा 77 त्रन्त लागू हो जायेगी ।
- (4) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति<sup>2</sup> द्वारा यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के शेष उपबन्धों में सब या कोई किसी स्थानीय क्षेत्रों में, ऐसे दिनांक या दिनांकों पर जो उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हों, प्रचलित होगें ।
- (5) किसी स्थानीय क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ हो जाने पर भी राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा बालकों के अथवा अव्यस्क अपराधियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी व्यापार (आपरेशन) से मुक्त कर सकती है ।

2--विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में --

परिभाषाएं

(1) ''अनुमोदित स्कूल'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संस्थापित या प्रमाणित स्कूल से होगा ;

<sup>1.</sup> उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 23 सितम्बर, 1950 ई0 का सरकारी गजट देखिये।

<sup>2.</sup> इस अधिनियम के अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशित फूट नोट देखें ।

- (2) ''वेश्यालय'' का तात्पर्य ऐसी इमारत या स्थान या उसके किसी भाग से है, जो एकाधिकार (सिंगिल टेनामेन्ट) रूप में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से एक से अधिक व्यक्तियों के उपयोग के निमित्त अधिवासित हो या भाड़े पर दिया गया हा अथवा जिसके विषय में उक्त प्रकार से अधिवासित होने या भाड़े पर देने का उददेश्य हो;
- (3) ''मुख्य निरीक्षक'' का तात्पर्य ऐसे मुख्य निरीक्षक से है, जो धारा 50 के अधीन नियुक्त किया गया हो ;
  - (4) ''बालक'' का तात्पर्य 16 वर्ष से कम अवस्था के व्यक्ति से है ;
- (5) किसी बालक अथवा अव्यस्क अपराधी की देखरेख के संबंध में "उपयुक्त व्यक्ति" के अन्तर्गत दिरद्र बालकों के लेने या उनकी रक्षा के निमित्त अथवा बालकों के प्रति कूरता के निवारणार्थ संस्थापित समिति, संस्था या निगम संस्था (वाडी कारपोरेट) भी है, उसकी देखभाल में रखे गये किसी बालक या अव्यस्क अपराधी का उसके जन्मधर्म के अनुसार पालन—पोषण करने का या करने में सुविधायें देने का कार्यभार लेती है;
- (6) किसी बालक अथवा अव्यस्क अपराधी के संबंध में "संरक्षक" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है, जो बालक या अव्यस्क अपराधी के संबंध में या उसके विषय में किसी कार्यवाही की अपेक्षा (काग्निजेंस) रखने वाले न्यायालय के मत से समय विशेष पर उक्त बालक या अवयस्क अपराधी पर वास्तविक अवधान या नियंत्रण रखता हो ;
- (7) ''अवयस्क न्यायालय'' का तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है, जो धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किया गया हो और उसके अन्तर्गत वह न्यायालय भी है, जो उक्त धारा की उपधारा (2) में व्यवस्थित रीति से कार्य करता हो ;
- (8) ''सार्वजनिक स्थान'' के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क, उद्यान (गार्डन) या रेलवे स्टेशन और कोई भूमि, इमारत या भूग्रहादि (प्रीमिसेज) भी है जहां समय विशेष पर जनता का प्रवेश शुल्क पर अथवा बिना शुल्क होता हो अथवा उक्त प्रवेश की आज्ञा हो ;
- (9) ''रक्षास्थान'' का तात्पर्य किसी ऐसे पर्यवेक्षण गृह (आब्जर्वेशन होम) या अनाथाश्रम, चिकित्यालय या किसी ऐसे अन्य उपयुक्त स्थान या संस्था से है, जिसका अधिवासी (आक्यूपायर) या प्रबन्धक अस्थायी रूप से बालक को लेने को तैयार हो अथवा जहां पर ऐसे पर्यवेक्षण गृह (आब्जर्वेशन होम) या अनाथाश्रम, चिकित्सालय या किसी ऐसे अन्य उपयुक्त स्थान या संस्था किसी पुरूष बालक के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसा पुलिस थाना भी जहां बालकों को वयस्क अपराधियों से पृथक सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो या हो सकती हो ;
- (10) ''सुधार अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जो धारा 34 के अधीन नियुक्त किया गया हो ;
  - (11) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;
- (12) ''मार्ग'' (स्ट्रीट) के अन्तर्गत कोई भी राज मार्ग और कोई भी सार्वजनिक पुल, सड़क, गली, पगडंडी, चौकोर स्थान, प्रांगण, तंग गली या मार्ग है, चाहें वे आम रास्ते हो या न हों ; और
- (13) "अवयस्क अपराधी" का तात्पर्य किसी ऐसे बालक से है, जिसके विषय में यह निर्णय हुआ है कि उसने ऐसा अपराध किया है, जिसका दण्ड निर्वासन या कारावास है।

धारा 3

#### अध्याय 2

#### बालक, जिसकी देखभाल अथवा रक्षा की आवश्यकता है

3—— (1) कोई पुलिस अधिकारी या नियत रीति से इस हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के सामने ला सकता है, जो देखने में 16 वर्ष से कम अवस्था का हो, और——

देखभाल अथवा रक्षा की आवश्यकता रखने वाले बालकों के विषय में न्यायालय का अधिकार

- (क) जो बेकार घूमता हुआ पाया जाय और जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान या जीविका के व्यक्त साधन न हो, या जो बेकार घूमता हुआ पाया जाय और जिसके माता—पिता या संरक्षक न हों या जिसके ऐसे माता—पिता या संरक्षक हो जो उसकी उचित देखभाल और संरक्षकता न करते हों, वे पालन करने में अयोग्य हो ;
- (ख) जो भीख मांगता हुआ या लेता हुआ पाया जाये, चाहे गाने बजाने, तमाशा करने या ब्रिकी के लिये अन्य प्रकार से किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का बहाना हो या न हो या किसी मार्ग, भूग्रहादि या स्थान मे इस प्रकार भीख मांगने या दान प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान मे पाया जाये, या
- (ग) जो निराश्रय (डेस्टीट्यूट) पाया जाये और जिसके माता—पिता या जीवित माता या पिता और अवैध (इल्लेजिटिमेट) बालक के संबंध में, जिसकी माता या दूसरा संरक्षक निर्वासन या कारावास का दण्ड भोग रहा हो या रहे हों, या
- (घ) जो ऐसे माता या पिता या संरक्षक की देखभाल में हो, जो आपराधिक या मद्यसेवन के अभ्यास के कारण बालक की देखभाल के लिये अनुपयुक्त हो या जो स्वभाव ही से बालक की देखभाल में प्रमाद करता हो या उसके साथ कूरता का व्यवहार करता हो; या
  - (ङ) किसी विख्यात चोर की संगत करता हो; या
- (च) जो ऐसे मकान में या मकान के किसी ऐसे भाग में रह रहा, ठहरा या निवास करता हो, जिसे कोई वेश्या वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये प्रयोग करती हो या जो किसी अन्य प्रकार से किसी ऐसी परिस्थिति में हो, जो बालक के फुसलाये जाने या व्यभिचार में पड़ने का कारण या प्रोत्साहक बन सकती है या उसके लिये अनुकूल पड सकती है, या
- (छ) जिसके अन्यथा कुसंग में पड़ जाने या नैतिक पतन के भय से आरक्षित होने या अपराधी जीवन प्रारम्भ करने की संभावना हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी बालक का ऐसा पिता या माता या संरक्षक हो, जो वास्तव में बालक के ऊपर अवधान या नियंत्रण रखता हो तो उपयुक्त व्यक्ति या अधिकारी, जो भी हो, पहले पहल निकटतम न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करेगा और ऐसा न्यायालय ऐसा माता या पिता या संरक्षक से ऐसी मांग कर सकता है कि वह कारण बताये कि कार्यवाही चालू रहने के काल में उक्त बालक उसकी देखभाल से क्यूं न हटा लिया जाये और ऐसे बालक की संरक्षकता के लिये तथा उसको न्यायालय में उपस्थित करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति या अधिकारी प्रतिभू (स्योरिटीज) लेकर यह अनुमति दे सकता है कि बालक अपने माता—पिता अथवा संरक्षक के अवधान (चार्ज) में रहता रहे या यह आज्ञा दे सकता है कि जब तक कि न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई आज्ञा न दें, उसको अलग रखा जाये।

स्पष्टीकरण— ऐसा बालक उपधारा (च) के वर्णन के अन्तर्गत नहीं समझा जायेगा, जो अपनी माता के, जो वेश्या हो, मकान में ठहरा या निवास कर रहा हो ।

धारा 4-6}

- (2) यदि न्यायालय को जांच के बाद इस बात का सन्तोष हो जाये कि उक्त व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों में वर्णित बालक है और उस बालक पर कार्यवाही करना आवश्यक है, तो न्यायालय—
  - (क) उसको किसी अनुमोदित स्कूल में या ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में भेजने की आज्ञा दे सकता है, जो चाहे वह उसका संबंधी हो या न हो, जब तक उक्त बालक 18 वर्ष का न हो जाये या उससे कम अवधि के उतने समय के लिये जो निश्चित कर दिया जाये, उसकी देखभाल करने के लिये तैयार हो, या
  - (ख) उसके माता, पिता या संरक्षक को यदि कोई हो, यह आज्ञा दे सकता है कि ऐसी निश्चित अवधि के लिये, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, बालक की उचित देखभाल या संरक्षकता का मुचलक (रिफाग्निजेन्स बांड) दे, या
  - (ग) कोई अन्य आज्ञा दिये बिना या पूर्ववर्ती दो अनुच्छेदों में से किसी के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा के अतिरिक्त यह आज्ञा भी दे सकता है कि वह ऐसी निश्चित अविध के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, किसी सुधार अधिकारी या न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये।
- (3) यदि जांच करने के बाद न्यायालय को यह सन्तोष हो जाये कि वह बालक किसी ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा से या उसके लाभ के लिये भिक्षावृत्ति करता रहा है, जो भिक्षुक बालकों को रखने का व्यवसाय करता हो, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दे सकता है और उसके कथन को सुनने के बाद यह आदेश दे सकता है कि वह कार्यवाही के खर्चे के संबंध में ऐसी धनराशि दे, जो 25 रूपये से अधिक न हो और ऐसा वाद—व्यय (कास्ट) कोड आफ किमिनल प्रोसोजर, 1898 के अनुबन्धों के अधीन वसूल किया जा सकेगा, मानो वह जुर्माना (फाइन हो)।
- 4— ऐसे बालक के संबंध में, जिसका साधारण निवास—स्थान उस न्यायालय के, जिसके सम्मुख वह उपस्थित किया जाता है, अधिक्षेत्र के बाहर हो, उक्त न्यायालय को अधिकार है, यदि उसे उचित जांच के बाद इस बात का संतोष हो जाये कि ऐसा करना उपपन्न है, कि वह उस बालक को उसके संबंधी या किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज दे, जो उसे बुलाकर अपनी उचित देखरेख और नियंत्रण में रखने के लिये उपयुक्त और तैयार हो ।

न्यायालय के अधिक्षेत्र के बाहर, निवास स्थान रखने वाले बालक का उक्त स्थान को भेजा जाना

5— जब बालक के पिता, माता या संरक्षक न्यायालय के सामने इस आशय कि प्रार्थना करे कि वह बालक को नियंत्रित रखने में असमर्थ है और बालक किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये तो न्यायालय यदि उसे जांच के बाद यह सन्तोष हो जाये कि बालक के प्रति इस प्रकार की कार्यवाही करना उपपन्न है और यह कि पिता या माता या संरक्षक इसके आगामी परिणाम को समझता है, उस बालक को किसी ऐसे स्कूल में भेजने का या, ऐसी निश्चित अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, किसी सुधार अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखने का आदेश दे सकता है।

बालक का न्यायालय के सम्मुख उपस्थित करने का अधिकार

6— जब इस अध्याय के अधीन के होने वाली कार्यवाही की किसी अवस्था पर न्यायालय बालक के हित में ऐसा करना उपपन्न समझे तो वह किसी रक्षा—स्थान में बालक के निरोध या लगातार निरोध के लिये या उसको किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखने के लिये. जो उसकी देखभाल करने को तैयार हो. आदेश दे सकता है ।

न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश

(धारा 7-9)

#### अध्याय 3

#### बालकों के प्रति अपराध और उसका निवारण

7— (1) बालक पर वास्तविक अवधान (चार्ज) या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति यदि उसे ऐसी रीति से, जिससे बालक को अनावश्यक कष्ट हो तो उसके स्वास्थ्य को आघात पहुँचें, परित्याग करें, अरक्षित रख या जानबूझ कर उसकी देखभाल में प्रमाद करें या उस पर प्रहार करें, या उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी प्रकार के भी कारावास का दण्ड ऐसे समय के लिये दिया जा सकेगा, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या जुर्माना, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है, किया जा सकेगा, अथवा कारावास और जुर्माना के दोनों ही दण्ड दिये जा सकेगें।

बालकों के प्रति कूरता का दण्ड

- (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये स्वास्थ्य की क्षित के अन्तर्गत दृष्टि या श्रुित को आघात या उसका द्वास और शरीर के किसी अंग या इंद्रिय (आर्गेन) को पहुंचा आघात या मानिसक विक्षिप (मेंटल डिरेंजमेन्ट) है और जिस माता—पिता या अन्य व्यक्ति पर बालक के पोषण का विधिक दायित्व हो, वह यदि बालक के लिये पर्याप्त भोजन, कपड़ा, चिकित्सा प्रबन्ध या निवास की व्यवस्था जान—बूझ कर न करें तो उसके विषय में यह समझा जायेगा कि उसने बालक की देखभाल में ऐसी रीति से प्रमाद किया है, जिसके उसके स्वास्थ्य को आघात पहुँचने की सम्भावना है।
- (3) यद्यपि किसी अन्य व्यक्ति ने वास्तविक कष्ट अथवा स्वास्थ्य के आघात का निवारण कर दिया हो तो भी कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के संबंध में दोषी ठहराया जा सकता है (में बी कनविक्टेड) ।
- (4) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जाये कि बालक को दण्ड देने का, जो अधिकार उसके ऊपर विधिक नियंत्रण या अवधान रखने वाले पिता, माता, शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त है, उससे छीनती या प्रभावित करती है।
- 8— (1) जो व्यक्ति अपने लाभ के लिये किसी बालक को किसी मार्ग, भुगृहादि या स्थान में जाकर भीख मांगने अथवा दान प्राप्त करने के या लोगों को दान देने के लिये प्रेरित करने के निमित्त, चाहे गाने बजाने तमाशा करने या किसी वस्तु को बिक्री करने का या अन्य प्रकार का बहाना हो या न हो, प्रेरित करें या बालक के ऊपर वास्तविक अवधान या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति बालक को ऐसा करने की अनुमित दे तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी प्रकार के भी कारावास का, जो तीन मास की अविध तक हो सकता है या जुर्माने का दण्ड जो एक सौ रूपये का हो सकता या दोनों दण्ड दिये जा सकेगें।

बालक के भीख मंगवाना या उसे भीख मांगने की अनुमति देना

- (2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी जिले या स्थान में, जहां पर यह अधिनियम प्रवृत्त हो, किसी जन वर्ग को इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय होने से मुक्त कर सकती है।
- 9— यदि कोई व्यक्ति ऐसे बालक पर अवधान (चार्ज) रखते हुये, जो देखने में सात वर्ष से कम अवस्था का हो, किसी सार्वजनिक मार्ग पर या अन्य सार्वजनिक स्थान में, चाहें वह कोई इमारत हो या नहीं, नशे में पाया जाये और यदि ऐसा व्यक्ति नशे के कारण बालक की उचित देखभाल करने में असमर्थ हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और यदि बालक उस अवस्था से कम हो तो उस व्यक्ति को पचास रूप्ये तक जुर्माने का दण्ड किया जा सकता है।

बालक पर अवधान रखते समय मद्याभिभूत होने पर दण्ड

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयाजनों के लिये किसी ऐसे बालक को सात वर्ष से कम अवस्था का समझा जायेगा, जिसके संबंध में, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई बात सिद्ध न हो जाये, न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह उस अवस्था से कम का है।

बालक की अवस्था का अनुमान

धारा 10-15}

10— जो कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थान में, वह स्थान चाहे इमारत हो या न हो, किसी बालक को उचित योग्यता प्राप्त चिकित्सक की आज्ञा के बिना या अस्वस्थता या किसी अविलम्ब कारण की स्थिति के न रहते हुये, मादक द्रव्य या मादक तरल पदार्थ दिलाने या पान कराये तो उसे पचास रूपये तक जुर्माने का दण्ड दिया जा सकेगा ।

बालक को मादक द्रव या नशे का पानक देने पर दण्ड

11— यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ, जो देखने में बारह वर्ष से कम आयु का हो, सिगरेट, सिगरेट का कागज (सिगरेट पेपर), बीड़ी तम्बाकू, या धूम्रपान का मिश्रण (स्मोकिंग मिक्सचर), चाहे वह उसके अपने ही उपयोग के लिये हो या न हो, बेचेगा, तो पहली बार अपराध करने पर उसे ऐसा अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा, जो पचीस रूपये से अधिक न होगा और दूसरी बार या उसके बाद अपराध करने पर ऐसा अर्थदण्ड दिया जा सकेगा, जो एक सौ रूपये से अधिक न हो ।

बालकों के हाथ सिगरेट इत्यादि बेचने का दण्ड

स्पष्टीकरण— इस धारा और उसके ठीक बाद की धारा के प्रयोजनों के लिये "सिगरेट" शब्द में कागज में लपेटी हुई कटी तम्बाकू तम्बाकू की पत्ती या ऐसे रूप में तैयार की हुई अन्य सामग्री का, जो धूम्रपान के लिये तत्काल प्रयोग में लाई जा सके, अन्तर्भाव होगा।

12— पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि यदि किसी बालक को किसी मार्ग (स्ट्रीट) या सार्वजिनक स्थान में धूम्रपान करता हुआ पाय, तो उसके पास से बीड़िया, सिगरेट या धूम्रपान सिम्मश्रण (स्मोकिंग मिक्सचर) छीन ले और इस प्रकार छीनी गई बीड़िया, सिगरेट या धूम्रपान सिम्मश्रण (स्मोकिंग मिक्सचर) राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और ऐसे प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह बालिकाओं को छोड़कर किसी भी बालक को जो इस प्रकार धूम्रपान करता हुआ पाया जाये, तलाशी लें।

बालक के पास से पुलिस अभिकारी द्वारा बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू या धूम्रपान का कोई समिश्रण छीना जाना

13— जो व्यक्ति, किसी बालक से कोई वस्तु निक्षेप (पान) के रूप में लेगा, चाहे वह वस्तु उस बालक ने स्वयं अपनी ओर से दी हो या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दी हो, उसको दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अविध एक मास तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो एक सौ रूपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेगें।

बालक से निक्षेप (पान) ग्रहण करने पर दण्ड

14— चार वर्ष और सोलह वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालक पर वास्तविक अवधान या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति को, जो उस बालक का वेश्यालय में रहने या आने—जाने दे या इस बात की अनुज्ञा दे, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेगें।

बालक का वेश्यालय में रहते देना

15— (1) यदि काई व्यक्ति, जिसके वास्तविक अवधान (चार्ज) का नियंत्रण में अठारह वर्ष से कम आयु की कोई बालक लड़की हो, उस बालक लड़की को फुसलाये जाने (सेडक्शन) {जिसके अन्तर्गत अनैतिक आचरण में प्रवृत्त होने के लिये दिया गया प्रलोभन (इन्ड्यूसमेन्ट) है} या व्यभिचार में पड़ने के लिये प्रेरणा करें या प्रोत्साहन दें, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस बालक लड़की का पित न हो या पित की दशा में बालक लड़की की अवस्था चौदह वर्ष से अधिक की न हुई हो, उसके साथ समागम (सेक्युअल इन्टरकोर्स) करने के लिये प्रेरित या प्रोत्साहित करें, तो उसके दोषी ठहराये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनो दण्ड दिये जा सकेगें।

फुसलाने का कारण बनना या उसे प्रोत्साहन देना आदि

धारा 16-19

- (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने किसी बालक लड़की के फुसलाये जाने (सेडक्शन) के लिये प्रेरणा दी है या प्रोत्साहन दिया है या उसे अनैतिक आचरण करने में प्रवृत्त किया है, यदि उसने बालक लड़की को जानबूझ कर किसी वेश्या या किसी ज्ञात दुवृत्ति (आफ नोन—इम्मारल कैरेक्टर) व्यक्ति का संग करने की या उसकी नौकरी प्रारम्भ करने या करते रहने की अनुमति दी हो ।
- 16— यदि आरोप—पत्र मिलने पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि सोलह वर्ष से कम अवस्था वाली किसी बालक लड़की के साथ उसके पिता, माता या संरक्षक द्वारा कूरता का व्यवहार किया जा रहा है या यह कि ऐसी बालक लड़की के अपने पिता, माता या संरक्षक की जानकारी या उसके अनजाने में फुसलाये जाने या व्यभिचार में पड़ने या वेश्यावृत्ति करने का भय है, तो न्यायालय ऐसे पिता, माता या संरक्षक को ऐसी बालक लड़की को समुचित देखरेख और पर्यवेक्षण करने के संबंध में निर्दिष्ट अविध तक के लिये मुचलका देने का निर्देश करेगा ।

अवयस्क बालिकायें बहकाये जाने के भय से आरक्षित इत्यादि या उसके कूरता का व्यवहार

17— जो व्यक्ति, सोलह वर्ष से कम उम्र की बालक लड़की को फुसलायेगा या उसके प्रति अनैतिक आचरण करेगा, उसे दोषी टहराये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अविध दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने का दण्ड, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेगे।

बहकाना या अनाचार (आउट रेज आफ माडेस्टी)

18—— (1) जो व्यक्ति, किसी बालक को प्रत्यक्षतः भूत्य कर्म (मीनियल एम्प्लायमेन्ट) के लिये, या चिट्ठी (डाक), फैक्ट्री या दूसरे प्रकार के स्थापन (इस्टेब्लिशमेन्ट) में मजदूरी (एक्सप्लायट्स) उसकी मजदूरी रोकता है या उसकी कमाई पर अपना निर्वाह करता है, उसे दोषी ठहराये जाने पर एक हजार रूपये तक का अर्थदण्ड दिया जायेगा ।

बालक नौकरों का शोषण

- (2) जो व्यक्ति प्रत्यक्षतः किसी बालक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिये रखता हो, किन्तु उस बालक को इस प्रकार रखता हो, जिससे कि उसके फुसलाये जाने, उसके प्रति अप्राकृतिक अनाचार होने, उसके व्यभिचार या वेश्यावृत्ति में पड़ने या उसके साथ दूसरे प्रकार के अनैतिक आचरण होने का अवसर देता हो तो उसे दोषी ठहराये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अविध दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो एक हजार रूप्ये तक हो सकती है, दिया जायेगा या दोनों दण्ड दिये जायेगें।
- (3) जो व्यक्ति, उपधारा (1) या (2) मे निर्दिष्ट प्रकार से शोषित बालक के श्रम से जानबूझ कर लाभ उठाता हो, या जिसकी अनैतिक तृप्ति के लिये ऐसे बालक का उपयोग किया जाता हो, वह प्रवृत्तक (एवैटर) के रूप में दण्डनीय होगा ।
- 19—— (1) कोई पुलिस अधिकारी जो सब इन्सपेक्टर के पद से नीचे का न हो या नियत प्रकार से अधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे बालक को रक्षा—स्थान में ले जा सकता है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय या इण्डियन पीनल कोड, 1860 के अध्याय 16 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो या यह विश्वास किया जाता है कि ऐसा अपराध किया गया है या उसके किये जाने की संभावना है।

बालक का रक्षा स्थान में निरोध

(2) जो बालक इस प्रकार रक्षा—स्थान में ले जाया गया हो, और कोई ऐसा बालक भी जो रक्षा—स्थान में शरण चाहता हो, वहां पर उस समय तक निरुद्ध किया जा सकता है, जब तक वह न्यायालय के सामने न लाया जा सके, किन्तु ऐसा निरोध, न्यायालय को विशेष आज्ञा के अभाव में, निरोध—स्थान से न्यायालय तक यात्रा में लगने वाला समय छोडकर चौबीस घण्टे से अधिक का न हो और न्यायालय ऐसी आज्ञा दे सकता है, जिसका उल्लेख इसकी ठीक बाद में आने वाली उपधारा में किया गया है अथवा बालक के विषय में परिस्थिति के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही करा सकता है जब तक कि बालक विषयक उपर्युक्त किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के अपराध का अवधारण, उसके दोषी उहराये जाने, उसके अवरोप या विमोचन द्वारा न हो जाये।

धारा 20}

- (3) जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उपर्युक्त प्रकार का अपराध न्यायालय के सामने लाये गये बालक के संबंध में किया गया है या किये जाने की संभावना है और यह कि बालक के हित में यह उपपन्न है कि इस धारा के अधीन कोई आज्ञा दी जाये तो न्यायालय परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित यह आज्ञा दे सकता है कि जब तक जब कि अपराध करने वाले व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने के लिये समुचित समय व्यतीत न हो जाये तब तक उस बालक को निरोध और देखभाल में रखा जाये और यदि किसी व्यक्ति पर उस समय के भीतर आरोप लगा दिया जाये तो तब तक निरोध और देख—भाल में रखा जाय जब तक कि उस व्यक्ति के अपराध का अवधारण उसके दोषी ठहराये जाने, अवरोप या विमोचन द्वारा न हो जाये और दोषी ठहराये जाने की दशा में ऐसे और अधिक समय के लिए, जिसे दोषी ठहराने वाला न्यायालय निश्चित करें और जो एक मास से अधिक का न हो और यद्यिप कोई व्यक्ति उक्त बालक के निरोधन का दावा करें, ऐसे आदेश को कार्यान्वित किया जायेगा ।
- 20—— (1) यदि बालक का वास्तविक अवधान या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति को——

न्यायालय की आज्ञा से बालक का निस्तारण

- (क) ऐसे बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन या इण्डियन पैनल कोड, 1860 के अध्याय 16 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के कारण दोषी ठहराया गया हो ; या
- (ख) ऐसा अपराध करने के कारण विचार के लिये न्यायालय को भेजा गया हो ; या
- (ग) ऐसे बालक के प्रति शान्ति बनाये रखने के लिये किसी न्यायालय द्वारा उससे मुचलका लिया गया (बाउन्ड ओवर) हो; तो

वह न्यायालय या तो उस समय जब उक्त व्यक्ति इस प्रकार दोषी ठहराया जाये या विचारार्थ भेजा जाये या उससे मुचलका लिया जाये या किसी अन्य समय पर यह आज्ञा दे सकता है कि वह बालक उक्त प्रकार से दोषी ठहराये गये, विचारार्थ भेजे गये या मुचलका देने वाले व्यक्ति के अवधान या नियंत्रण से निकाल लिया जाये और बालक के किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की, जिसके नाम का निदेश न्यायालय करेगा, देखभाल में (यदि ऐसा संबंधी या अन्य व्यक्ति ऐसी देखभाल करने के लिये उद्यत हो) उस अवधि तक, जब तक वह अठारह वर्ष का न हो जाये या उससे कम किसी अवधि तक रखा जाये और वह न्यायालय या समान अधिक्षेत्र का कोई अन्य न्यायालय या तो स्वतः या किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर आज्ञा देकर समय—समय पर उक्त आज्ञा का नवीकरण (रिन्यूवल) कर सकता है या उसका परिवर्तित कर सकता है या उसका प्रतिसंहरण (रिवोक) कर सकता है।

- (2) इस धारा के अधीन बालक को उसके संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखने की आज्ञा देने वाला न्यायालय ऐसे संबंधी या अन्य व्यक्ति को बालक के अच्छे आचरण और ऐसी शर्तों के पालन के लिये, जो न्यायालय बालक के जीवन को सदाचारी और उद्योगशील बनाने के विचार से लगाये, उत्तरदायी होने के संबंध में प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित बंधपत्र (बांड) निष्पादित करने के लिये आदेश दे सकता है और इसके अतिरिक्त न्यायालय यह भी आज्ञा दे सकता है कि बालक को न्यायालय द्वारा बताये गये किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये।
- (3) यदि बालक का पिता या माता या कोई विविध संरक्षक हो तो इस धारा के अधीन कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी तब तक कि——
  - (क) उक्त पिता या माता या विधिक संरक्षक को उस अपराध के संबंध में दोषी न ठहराया या विचारार्थ प्रेषित न किया गया हो या बालक के प्रति शान्ति रखने के लिये उससे बंधपत्र (मुचलका) निष्पादित न कराया गया हो तो उसका पता न चलता हो; या

(धारा 21)

(ख) न्यायालय को कारणों के आधार पर यह विश्वास न हो जाये कि पिता, माता या विधिक संरक्षक ने अपराध में भाग लिया है, या वह उस रहस्य में रहा है या उसने किसी काम को करके या न करके अपराध को सुकर बना दिया है या वह बालक की देखभाल करने के लिये अन्य प्रकार से अनुपयुक्त है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि न्यायालय उपयुक्त समझे और पिता, माता या विधिक संरक्षक नियत प्रकार से न्यायालय को प्रतिभू सिहत या प्रतिभू रिहत दायित्व लेने का वचन दे तो न्यायालय ऐसे बालक को ऐसे पिता, माता या विधिक संरक्षक के निरोधन (कस्टडी) में इस प्रतिबन्ध के साथ रहने दे सकता है कि न्यायालय द्वारा बताया हुआ कोई व्यक्ति उस बालक का प्रयंवेक्षण करता रहेगा ।

- (4) इस धारा के अधीन दी हुई प्रत्येक आज्ञा लिखित रूप में होगी और ऐसी कोई आज्ञा न्यायालय द्वारा बालक की अनुपस्थिति में दी जा सकती है। ऐसी आज्ञा के अनुसार बालक की देखभाल करने के संबंध में किसी व्यक्ति की सम्मति इस रीति से ली जायेगी, जिस न्यायालय उस बाध्य करने के लिये पर्याप्त समझे।
- (5) जब इस धारा के अधीन कोई आज्ञा दी जाये और उस व्यक्ति को दोषी ठहराये जाने या शान्ति रखने के लिये उसे बाध्य करने की कोई आज्ञा रदद हो जाये या वह व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाये तो उन बातों को छोड़कर, जो उसके अधीन विधि के अनुसार दी गई हो ऐसी आज्ञा तुरन्त व्यर्थ हो जायेगी ।
- (6) न्यायालय बालक को किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में दिये जाने की आज्ञा दिये जाने के स्थान पर यह आज्ञा दे सकता है कि बालक की किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जायें ।
- 21—— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन उपयुक्त अधिकार—प्राप्त किसी मैजिस्ट्रेट को उस सूचना के आधार पर, जो उसके सामने शपथपूर्वक या सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मेजिस्ट्रेट के मत में उस बालक के हित में कार्य कर रहा हो, रखी गयी हो, ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा सन्देह करने का उचित कारण है कि ——
  - (क) उसके अधिक्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर किसी बालक के साथ इस प्रकार से जानबूझ कर दुर्व्यवहार किया गया है या किया जा रहा है या उसकी देखभाल नहीं की गयी है या नहीं की जा रही है, जिससे बालक को अनावश्यक कष्ट होने की संभावना है या जो उसके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है; या
  - (ख) इस अधिनियम के अधीन या इण्डियन पीनल कोड, 1860 के अध्याय 16 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध बालक के संबंध में किया गया है या किया जा रहा है; तो

उक्त मैजिस्ट्रेट पहली बार उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम, जिसकी या जिनकी देखभाल निरोधन या नियंत्रण में ऐसा बालक हो, उक्त बालक को तुरन्त न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिये सम्मन जारी कर सकता है या ऐसा अधिपत्र जारी कर सकता है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को, उसका नाम निर्देशन करके, यह अधिकार दिया जाय कि वह उक्त बालक की खोज कर और यदि ऐसा विदित हो कि उस बालक के साथ पूर्वोक्त ढंग पर जानबूझ कर दुर्व्यवहार या उपेक्षा की गयी है या की जा रही है या यह कि उस बालक के सम्बन्ध में कोई पूर्वोक्त अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो उसे किसी सुरक्षित स्थान में ले जाय और जब तक वह मैजिस्ट्रेट के सामने न लाया जा सके तब तक उसे वहां निरूद्ध रखें, या जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया जाये कि वह बालक की, उसकी खोज करके या बिना खोज के, किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाये और जब तक वह मैजिस्ट्रेट के सामने न लाया जा सकें, तब तक उसे वहां निरूद्ध रखें और वह मैजिस्ट्रेट जिसके सामने वह बालक लाया जाय उस बालक का किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में उसी प्रकार रख सकेगा मानो वह व्यक्ति जिसके अवधान या नियंत्रण में वह बालक था, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचार के संबंध में न्यायालय को भेजा गया है:

उस बालक की खोज के लिये अधिपत्र (वारंट) जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो

धारा 22}

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त बालक ऐसी माता या संरक्षक के निरोधन या नियंत्रण में हो, जो महिला होने के कारण देश के आचार और सामाजिक शिष्टाचार के कारण बाहर निकलती हो तो मिं क्रिस्ट्रेट साधारणतः उसके नाम सम्मन जारी करेगा और व्यक्ति के संबंध में, जिसके नाम ऐसा सम्मन जारी किया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने सम्मन का अनुपालन किया है यदि वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित न होकर उक्त बालक को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवा दें।

- (2) इस धारा के अधीन अधिपत्र (वारन्ट) जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट अपने विवेक से उसी अधिपत्र द्वारा यह भी निर्देश कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति, जो उस बालक के संबंध में किसी अपराध का कथित दोषी हो, गिरफ्तार किया जाये और उसके सामने लाया जाये या यह निर्देश कर सकता है कि यदि ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट समय पर और उसके बाद जब तक उक्त मैजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश न करें, उक्त मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के संबंध में पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंध पत्र निष्पादित करें तो वह अधिकारी, जिसके पास उक्त अधिपत्र भेजा जाये ऐसी जमानत ग्रहण करेगा और उक्त व्यक्ति को निरोधन से मुक्त कर देगा ।
- (3) उक्त अधिपत्र को निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी के साथ यह व्यक्ति भी जिसमें सूचना दी हो, यदि वह ऐसा करना चाहे तो रहेगा और यदि अधिपत्र जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसा निर्देश करें तो उसके साथ उपयुक्त योग्यता सम्पन्न चिकित्सक भी जा सकता है।
- (4) इस धारा के अधीन की गयी किसी सूचना में या जारी किये गये अधिपत्र में सम्बद्ध बालक का नाम, यदि ज्ञात हो, तो दिया जायेगा ।
- 22— (1) यदि किसी ऐसी दशा में जिसमें किसी व्यक्ति ने धारा 21 के उपबन्धों के अधीन सूचना दी हो, मैजिस्ट्रेट का ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, यह मत हो कि वह सूचना असत्य और तुच्छ या उद्धेगकारी (फ़िबोलत ओर वेक्सेशस) थी, तो मैजिस्ट्रेट कार्यों का उल्लेख करते हुये वह निर्देश कर सकता है कि ऐसी सूचना देने वाला उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध सूचना दी गयी थी, प्रतिकर की ऐसी धनराशि जो अवधारित की जाये और पांच सौ रूपये अधिक न हो, देगा ।

असत्य और तुच्छ या उद्देगकारी सूचना के लिये प्रतिकर

- (2) प्रतिकर देने की आज्ञा देने के पूर्व मैजिस्ट्रेट सूचना देने वाले से इस बात का कारण पूछेगा कि उससे प्रतिकर क्यों न लिया जाये और मैजिस्ट्रेट उक्त कारण पर, जो उक्त सूचना देने वाले द्वारा बताया जाये, विचार करेगा ।
- (3) मैजिस्ट्रेट प्रतिकर देने की आज्ञा के साथ यह भी आज्ञा दे सकता है कि, यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रतिकर देने की आजादी दी गई हो, प्रतिकर न दे तो उसकी पैंतालिस दिन की अवधि का कारावास दण्ड भोगना पड़ेगा ।
- (4) जब किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कारावास का दण्ड दिया जाये तो उस पर इंडियन पेनिल कोड 1860 की धारा 68 और 89 के उपबंध यथासंभव लागू होंगे।
- (5) ऐसा व्यक्ति, जिसको इस धारा के अधीन प्रतिकर देने का निर्देश किया गया हो, उक्त आज्ञा के आधार पर उक्त सूचना के संबंध में जो उसने दी है, किसी आर्थिक या आपराधिक दायित्व (सिविल और किमिनल लायविलिटी) से मुक्त नहीं हो सकेगा, किन्तु इस विषय के किसी बाद में होने अर्थवाद में, उस धनराशि पर जो उसने प्रतिकर के रूप में दी हो, विचार किया जायेगा ।
- (6) कोई सूचना देने वाला, जिसको पचास रूपये से अधिक प्रतिकर देने की आज्ञा दी गई हो, उस आज्ञा के विरूद्ध अपील कर सकता है मानो ऐसी सूचना देने वाला प्रतिकर देने का निर्देश करने वाले मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी आपराधिक विचार के आधार पर दोषी ठहराया गया हो।

धारा 23-26}

(7) जब किसी ऐसे अभियोग में, जिसके विरूद्ध उपधारा (6) के अधीन अपील हो सकती हे, प्रतिकर देने की आज्ञा दी गई हो तो यह प्रतिकर उस व्यक्ति को जिसे प्रतिकर देने की आज्ञा हुई हो उस अविध के, जो अपील प्रस्तुत करने के लिये निगत हो, बीत जाने के पूर्व नहीं दिया जायेगा, यदि कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो उसके निर्णय के पूर्व, और जब उक्त आज्ञा ऐसे अभियोग के प्रसंग में दी गई हो, जिसके विरूद्ध अपील न की जा सकती हो, तो प्रतिकर उक्त आज्ञा के दिनांक से एक मास पूर्व नहीं दिया जायेगा।

#### अध्याय 4 अवयस्क अपराधी

23— (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो अप्रत्यक्षतः सोलह वर्ष से कम अवस्था को हो, किसी (नान बेलिवल) अपराध के लिये गिरफ्तार किया जाये ओर तुरन्त ही न्यायालय के सामने न लाया जा सकें तो उस बात का अवयस्क अधिकारी (आफिसर इंचार्ज) जिसमें वह व्यक्ति लाया गया हो किसी भी दषा में उसे छोड़ सकता है और जब अपराध दण्डनीय नरहत्या या ऐसा अपराध न हो, जिसके लिये प्राणदण्ड या निर्धारित दण्ड मिल सकता हो तो उसको जमानत पर अवश्य ही मुक्त कर देगा यदि पर्याप्त प्रतिभूति (सिक्योरिटी) मिल रही हो और ऐसा न हो कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्व होगें, अधिकारी को विश्वास होता हो कि मुक्ति से यह व्यक्ति किसी कुख्यात अपराधी से मिला जायेगा या नैतिक पतन में पड़ने का उसे अवसर मिलेगा अथवा उसकी मुक्ति से न्याय का उददेश्य ही नष्ट हो जायेगा:

किन्तु यदि प्रत्यक्षतः सोलह से कम आयु की कोई बालिका गिरफ्तार की गई हो तो किसी थाने (पुलिश स्टेशन) का अवधायक अधिकारी, जिसने वह गिरफ्तारी की हो या जिसके उसे तुरन्त मुक्त कर देगा यदि कोई व्यक्ति, जो बालिका का सम्बन्धी हो या उसी धार्मिक विचारों वाली कोई समिति या संस्था हो, जिन विचारों वाली वह लड़की है, जो उसकी सहमित में पर्याप्त और उचित प्रतिभू है और उतनी धनराशि का बन्धनामा लिखें, जितनी वह अधिकारी उस बालिका के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए या थाने में बुलाये जाने पर उसके स्थान में स्वयं उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समझता है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये "संबंधी" शब्द का अर्थ माता, पिता, दादा, दादी, भाई, बहनें, चाचा, चाची और सगे चचेरे भाई बहने हैं।

24— जब कोई व्यक्ति, जिसकी अवस्था प्रत्यक्ष रूप से सोलह वर्ष से कम की हो, गिरफ्तार हुआ हो तो और धारा 23 के अधीन या अन्यथा मुक्त न किया गया हो, तो थाने का अवधायक अधिकारी उसको नियत रीति से उस समय तक निरूद्ध रखवायेगा तब तक वह न्यायालय के सामने न लाया जा सकें:

किन्तु निरोध की अविध किसी भी दशा में किसी न्यायालय की विशेष आज्ञा के अभाव में चौबीस घंटो से अधिक न होगी, जिसमें वह समय सम्मिलित न होगा जो गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक ले जाने के लिये आवश्यक हो ।

25— कोई न्यायालय किसी बालक को, जो जमानत पर मुक्त नहीं किया गया हो, लौटा भेजने (रिमांडिंग) या विचारार्थ भेजन (किमिटिंग फार ट्रायल) पर नियत रीति में उसे निरूद्ध करने की आज्ञा देगा ।

26— (1) जब किसी बालक पर कोई अपराध लगाया गया हो या किसी प्रार्थना पत्र पर न्यायालय में वह इस आज्ञा के लिये लाया गया हो कि उसे किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये, तो उसके माता पिता या संरक्षको को किसी दशा में यह आदेश दिया जा सकता है और यदि उसका पता चल जाये और वह उचित दूरी के भीतर रहता हो तो यह आदेश अवश्य दिया जायेगा कि न्यायालय के सामने जिसमें वह अभियोग सुना जा रहा है, कार्यवाहियों के समस्त अवस्थाओं में उपस्थित हो जब तक न्यायालय को यह सन्तोष न हो जाये कि उसकी उपस्थित का आदेश अनुचित होगा ।

बालकों को जमानत

उन बालको का निरोधन जो जमानत पर मुक्त न किये गये हो

लौटा भेजना या विचारार्थ न्यायालय में उपस्थिति

बालक माता पिता की न्यायालय में उपस्थिति

धारा 27-29}

- (2) किसी बालक के गिरफ्तार होने पर उस थाने का अवधायक अधिकारी जिसमें वह लाया गया हो बालक के माता पिता या संरक्षक को यदि उसका पता लगाया जा सकें, आदेश देगा कि वह उस न्यायालय में उपस्थित हो जिसमें वह बालक लाया जायेगा ।
- (3) बालक के माता, पिता या संरक्षक, जिसकी उपस्थिति इस धारा के अधीन आवश्यक होगी, बालक का ऐसा माता, पिता या संरक्षक होगा, जिनके अवधान में बालक हो या जिसका बालक पर नियंत्रण हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसा संरक्षक उसका पिता न हो तो पिता की उपस्थिति भी आवश्यक होगी।

- (4) बालक के पिता या माता की उपस्थिति इस धारा के अधीन किसी ऐसी दशा में आवश्यक न होगी जब किसी न्यायालय की आज्ञा से कार्यवाही के प्रारम्भ होने से पहले ही बालक माता या पिता के निरोधन या अवधान से हटा लिया गया हो ।
- (5) इस धारा में कोई ऐसी बात न समझी जायेगी, जिससे किसी बालक की माता या मिहला संरक्षिका की उपस्थिति आवश्यक हो, यदि ऐसी माता या मिहला संरक्षिका प्रथा के अनुसार सार्वजिनक स्थान में न निकलती हों, किन्तु कोई ऐसी माता या मिहला संरक्षिका किसी अभिवक्ता या अभिकर्ता (प्लीडर आर एजेन्ट) के द्वारा न्यायालय में उपस्थिति हो सकती है।

27— किसी विधि में किसी विपरित बात के होते हुये भी कोई न्यायालय किसी बालक को प्राणदण्ड या निर्वासन (ट्रान्सपोर्टेशन) या किसी अविध के लिये कारावास या दण्ड का जुर्माना न देने पर कारावास का दण्ड न देगा :

दण्ड, जो किसी बालक को नहीं दिया जा सकता

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि बालक बारह वर्ष या उससे अधिक अवस्था का हो तो उस दशा में कारागास में भेजा जा सकता है। जब न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उक्त बालक इतना उद्दण्ड या दुर्वृत्त है कि वह अनुमोदित स्कूल में भेजने के लिये अनुपयुक्त है और यह कि विधिक प्रक्रिया की अन्य ढंगों में से कोई भी उसके लिये उपयुक्त नहीं है।

28— किमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में किसी विपरित बात के होते हुये भी किसी बालक के विरूद्ध उक्त कोड के अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही की जायेगी और उसके अधीन कोई आज्ञा पारित की जायेगी । किमिनल प्रोसीजर कोड के अध्याय 8 के अधीन बालक के विरुद्ध किसी कार्यवाही का अभाव

- 29— (1) यदि वह निर्णय हो जाये कि किसी बालक ने ऐसा अनुरोध किया है, जिसका दण्ड निर्वासन या कारावास है तो, यदि न्यायालय को जांच करने पर सन्तोष हो जाये कि ऐसा करना उत्पन्न (एक्सपीडियेन्ट) है, तो वह उस बालक को किसी अनुमोदित स्कूल में उस अविध तक रखने की आज्ञा दे सकता है, जो उस समय से अधिक न होगी जबिक बालक 18 वर्ष का हो जाय अथवा उक्त अविध से ऐसा कम अविध तक जिसके संबंध में कारण लेखाबद्व होगें।
- किसी अनुमोदित स्कूल में बालक का भेजा जाना ।
- (2) यदि इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व किसी अवयस्क अपराधी को निर्वासन या कारावास का दण्ड मिला हो तो राज्य सरकार निदेश कर सकती है कि ऐसे दण्ड को भोगने या पूर्ण करने के स्थान पर उसे, यदि वह सोलह वर्ष से कम अवस्था का हो, किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये और तब वह अपराधी इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों के अधीन इस प्रकार होगा मानो उक्त स्कूल में उसके निरोध की आज्ञा प्रारम्भ से दी गई थी।

धारा 30-32}

30—— (1) कोई न्यायालय यदि उपयुक्त समझे तो किसी अवयस्क अपराधी को किसी अनुमोदित स्कूल में निरूद्ध करने के स्थान पर यह आज्ञा दे सकता है कि वह—— अवयस्क अपराधी को छोड़ने या उपयुक्त निरोध में भेजने की शक्ति

- (क) उचित उद्बोधन (एडमानिशन) के पश्चात् मुक्त कर दिया जाये; या
- (ख) वह सदाचरण के परीक्षणकाल (प्रोबेशन) के लिये छोड़ दिया जाये और माता पिता या संरक्षक या अन्य वयस्क संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में उक्त माता पिता संरामक या संबंधीया अन्य उपयुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के साथ या बिना उसके ऐसा बंधनामा किये जाने पर, जिसके विषय में न्यायालय आदेश दे और जिसके द्वारा ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न होगी, अवयस्क अपराधी को सदाचरण के लिये और ऐसी अन्य शर्तों के अनुपालन के लिये जिन्हें न्यायालय इस बात के निश्चय के निमित्त लगाये कि अवयस्क अपराधी सच्चा और औद्यागिक जीवन व्यतीत करेगा, उक्त माता पिता आदि के उत्तरदायित्व लें, रख दिया जायें।

न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि इस दण्ड के अधीन मुक्त किया गया अवयस्क अपराधी किसी सुधार अधिकारी के या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये, जिसे इस प्रयोजन के लिये न्यायालय नियुक्त करें।

- (2) यदि न्यायालय को सुधार अधिकारी से आख्या (रिपोर्ट) प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसा प्रतीत हो कि अपराधी परीक्षणकाल में सदाचारी नहीं रहा तो वह, ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह उचित समझे यह आज्ञा दे सकात है कि अपराधी किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये।
- 31— (1) जब यह निर्णय हो जाये कि बालक ने ऐसा अपराध किया है, जिसके लिये अर्थ—दण्ड दिया जा सकता है और न्यायालय की यह राय हो कि इस प्रसंग में किसी अन्य दण्ड के साथ या बिना उसके अर्थदण्ड उपयुक्त होगा, जब तक कि न्यायालय को यह सन्तोष न हो जाये कि माता पिता या संरक्षक का पता नहीं लग सकता अथवा बालक की उचित देखभाल में असावधानी के कारण यह अपराध में सहायक नहीं हुआ है, न्यायालय किसी भी दशा में यह आज्ञा दे सकता है कि यदि अपराधी बारह वर्ष से कम आयु का बालक हो तो यह आज्ञा अवश्य देगा कि बालक का पिता या माता या संरक्षक अर्थदण्ड दें।

बलकों के माता पिता को जुर्माना चुकाने की आज्ञा देने की शक्ति ।

- (2) इस धारा के अधीन कोई आज्ञा माता, पिता या संरक्षक के विरूद्ध दी जा सकती है, जो आदेश देने पर भी उपस्थित न हुआ हो, किन्तु पूर्वोक्त स्थिति को छोड़कर उक्त आज्ञा माता पिता या संरक्षक को उसकी बात सुनी जाने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायेगी ।
- (3) इस धारा के अधीन जब किसी माता पिता या संरक्षक को कोई जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया गया हो तो वह धनराशि किमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 के उपबंधों के अनुसार वसूल की जा सकती है ।

1898 ई0 का ऐक्ट सं0 5

- (4) कोई माता, पिता या संरक्षक उक्त आज्ञा के विरूद्ध अपील कर सकता है, मानो उक्त आज्ञा स्वयं उसके विरूद्ध किसी कार्यवाही में दी गई हो।
- 32— (1) जब यह निर्णित हो जाय कि किसी बालक ने ऐसे गम्भीर प्रकार का अपराध किया है कि न्यायालय की राय में कोई दण्ड, जिसे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन देने के लिये अधिकृत है, पर्याप्त न होगा, तो न्यायालय यह आज्ञा देगा कि अपराधी भी ऐसे स्थान में या ऐसी रीति से, जिसे वह उपयुक्त समझे, सुरक्षित निरोधन में रखा जाये और इस प्रसंग को राज्य सरकार की आज्ञा के लिये सूचित करेगा ।

बालको द्वारा किये गये कुछ अपराधों की दशा में निरोध

(2) धारा 13 के उपबंधों के होते हुये भी राज्य सरकार आज्ञा दे सकती है कि ऐसा बालक ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह उपयुक्त समझें, निरूद्ध किया जायेगा और इस प्रकार निरूद्ध बालक के विषय में यह समझा जायेगा कि वह वैध अवरोधन में है :

**धारा 33-34**}

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस प्रकार आज्ञप्ति निरोध की अविध उस कारावास की अधिकतम अविध से अधिक न होगी, जो कारावास उस बालक को उपराध करने के लिये मिला होता ।

33— जब किसी बालक पर आरोपित अपराध का कोई न्यायालय विचार कर रहा हो और न्यायालय को सन्तोष हो जाये कि उसने उपराध किया है कि न्यायालय आज्ञा देने के पूर्व उस रीति पर विचार करेगा, जिसके अनुसार इस अधिनियम के या किसी अन्य ऐसे अधिनियम के अधीन, जो उक्त अभियोग में न्यायालय को कार्य करने के लिये समर्थ करें, अभियोग में कार्य किया जाये अर्थात इस बातों पर कि —

आरोप लगाये गये बालकों के संबंध में विचार करने के ढंग

- (क) उचित उदबोधन के उपरान्त अपराधी को मुक्त कर दिया जाये या
- (ख) अपराधी माता, पिता, संरक्षक, अन्य वयस्क संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति द्वारा, अपराधी के सदाचार के लिये उत्तरदायित्व का बंधनामा लिखने पर अपराधी को उसकी देखरेख में दिया जायें; या
- (ग) इस प्रकार अपराधी को मुक्त कर दिया जाये और उसे न्यायालय द्वारा नामांकित व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये ; या
- (घ) अपराधी को किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रख दिया जाये चाहे वह उसका संबंधी हो या न हो जो अपराधी की देखभाल का भार लेने के लिये तैयार हो; या
  - (ङ) अपराधी को सदाचरण के परीक्षणकाल की शर्त पर छोड़ दिया जाये या
  - (च) अपराधी को किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये, या
  - (छ) अपराधी को जुर्माना देने की आज्ञा दी जायें; या
  - (ज) अपराधी के माता, पिता या संरक्षक को जुर्माना देने की आज्ञा दी जाय; या
- (झ) अभियोग में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्य किया जाये, जिससे उसमें विधितः कार्य हो सके; या
- (ञ) जब अपराधी बालक बारह वर्ष या उससे अधिक अवस्था का हो तो उसे कारावास का दण्ड दिया जाये :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस धारा में दी हुई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि न्यायालय को किसी भी अभियोग के संबंध में ऐसी रीति से कार्य करने का अधिकार है, जिसके अनुसार वह इस धारा के अभाव में नहीं कर सकता था ।

#### अध्याय 5

#### सुधार अधिकारी और अन्य व्यक्ति, जिनको और बालकों अवयस्क अपराधियों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है

34— कोई सुधार अधिकारी—

- (क) वह व्यक्ति होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने सुधार अधिकारी के रूप में की हो. या
- (ख) इस प्रयोजन के लिये किसी ऐसी संस्था द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस संबंध में मान्यता दी हो, दिया गया कोई व्यक्ति होगा, या
- (ग) किसी मामले में, जहां ऐसा आवश्यक हो, कोई अन्य व्यक्ति होगा, जिसे राज्य सरकार की साधारण या विशेष आज्ञाओं का ध्यान रखते हुये न्यायालय समय–समय पर नियुक्त करें।

सुधार अधिकारी की नियुक्ति

धारा 35-38}

35— इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों तथा न्यायालय के निर्देशों के अधीन सुधार अधिकारी— सुधार अधिकारियों के

- (क) ऐसे उचित विरामों (इन्टरवल्स) पर, जो न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा में निर्दिष्ट किये गये हो या उसके अधीन जैसा कि सुधार अधिकारी उचित समझे, बालक या अवयस्क अपराधी को देखने जायेगा या उसे अपने पास बुलायेगा ;
- (ख) इस बात का ध्यान रखेगा कि यथास्थिति बालक या अवयस्क अपराधी का संबंधी या अन्य व्यक्ति, जिसकी देखभाल में ऐसा बालक या अवयस्क अपराधी रखा गया हो, बंधनामें की शर्तों का पालन करता है ;
- (ग) यथास्थिति बालक या अवयस्क अपराधी के आचरण के संबंध में न्यायालय को आख्या (रिपोर्ट) भेजेगा ;
- (घ) बालक या अवयस्क अपराधी को परामर्श देगा, उसकी सहायता करेगा तथा उससे मित्रतापूर्वक व्यवहार करेगा और जहां जब आवश्यक हो, उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करने या उसको उचित काम में लगाने का प्रयत्न करेगा; और
- (ङ) किसी अन्य कर्तव्य का, जो नियत किया जाय या जिसके संबंध में न्यायालय आज्ञा दें, पालन करेगा ।

36— किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके पर्यवेक्षण में इस अधिनियम के भाग 2 तथा 3 के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय की आज्ञा के अनुसार कोई बालक या अवयस्क अपराधी रखा गया हो, इस संबंध में निर्मित नियमों अधीन रहते हुये, जहां तक संभव हो, वही कर्तव्य होगें, जो कि इससे पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत किसी सुधार अधिकारी के है ।

अन्य व्यक्तियों के कर्तव्य

37— जब इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय के आदेश में नामांकित सुधार अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसने किसी बालक या अवयस्क अपराधी को पर्यवेक्षण में रखा हो, मर जाये या किसी कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन में असमर्थ हो या जब यह आवश्यक प्रतीत हो कि उस अधिकारी या व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाये, न्यायालय उसके स्थान पर कार्य करने के लिये अन्य सुधार अधिकारी या व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।

सुधार अधिकारी या अंन्य व्यक्ति की मृत्यु अथवा असमर्थता

#### अध्याय 6

#### अनुमोदित स्कूलों को भेजे गये या समुचित अवरोधन में रखे व्यक्तियों का भरण—पोषण और उसकी चिकित्सा

38— (1) जो न्यायालय किसी बालक या अवयस्क अपराधी के किसी अनुमोदित स्कूल में निरोध के लिये या किसी बालक या अवयस्क अपराधी को किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखने के लिये आज्ञा देता है, वह माता, पिता या ऐसे अन्य व्यक्ति की, जो बालक या अवयस्क अपराधी के भरण—पोषण के लिये उत्तरदायी हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसके भरण—पोषण के लिये, यदि वह ऐसा करने में समर्थ हो, तो नियत रूप से अंशदान (कट्रीब्यूशन) दें।

माता-पिता की सहायता

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा देने के पूर्व, न्यायालय माता, पिता या अन्य व्यक्ति की, जो बालक या अवयस्क अपराधी के भरण पोषण के लिये उत्तरदायी हो, परिस्थितियों की जांच करेगा और यथास्थिति माता पिता या ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य न हो तो उसके अधिवक्ता (वकील) की उपस्थिति में, साक्ष्य का, यदि कोई हो, अभिलेख करेगा ।

धारा 39-40}

- (3) इस धारा के अधीन दी गई किसी आज्ञा में न्यायालय द्वारा समय—समय पर परिवर्तन किये जा सकेगें ।
- (4) उपधारा (1) प्रयोजनों के लिये किसी बालक या अवयस्क अपराधी के भरण पोषण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, जिसके पास उपर्युक्त आज्ञर देने के समय, बालक या अवयस्क अपराधी की माता रखेली के रूप में रह रही हो, चाहे वह उसका कथित (प्युटेटिव) पिता हो या न हो और अवैध (इल्लेजिटिमेट) बालक की दषा में उसका कथित पिता हो;

किन्तु जब बालक या अवयस्क अपराधी अवैध हो और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 488 के अधीन उसके भरण पोषण के लिये कोई आज्ञा दी गई हो, तो न्यायालय साधारणतया कथित पिता के विरुद्ध अंशदान का आदेश नहीं देगा, किन्तु यह आदेश दे सकेगा कि भरण पोषण की उक्त आज्ञा के अधीन देय कुछ धन या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होता रहे, जिसको न्यायालय नामांकित करें और उसे यथास्थिति वह या वे बालक या अवयस्क अपराधी के भरण पोषण में व्यय करें।

1898 ई0 का एक्ट संख्या 5

(5) जब किसी माता, पिता या अन्य व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी बालक या अवयस्क अपराधी के भरण पोषण के लिये अंशदान का आदेश हुआ हो तो वह न्यायालय को, जिसने आज्ञा दी हो, पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा और यदि उचित कारण के बिना वह ऐसा करें, तो उसको जुर्माना का दण्ड दिया जा सकेगा, जो पचीस रूपये तक हो सकेगा।

1898ई० का ऐक्ट संख्या 5

- (6) इस धारा के अधीन कोई ऐसी आज्ञा उसी रीति से निष्पादित की जा सकेगी, जिस रीति से का कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 488 के अधीन कोई आज्ञा निष्पादित होती है ।
- (7) कोई बालक या अवयस्क अपराधी, जो या तो पारिश्रमिक पाता हो या जिसके पास आय वाली सम्पत्ति हो, अपनी आय का ऐसा अनुपात, जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाये, अपने भरण–पोषण के लिये देगा ।

39— जब छः वर्ष से कम अवस्था का कोई बालक अनुमोदित स्कूल मे भेजा जाय, तो उस स्कूल का प्रबन्धक मुख्य निरीक्षक की सम्मित से बालक को धारा 74 के अनुसार नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति के पास उस समय तक रख सकती है, जब तक कि बालक दस वर्ष का न हो जाये, और तदुपरान्त मुख्य संरक्षक की सम्मित से ऐसी अवधि के लिये, जो प्रबंधक बालक के हित में ठीक समझे, किन्तु इस बीच में पर्यवेक्षण को, वापस बुलाने की और अन्य प्रकार की, जो शक्तियां नियत की जाये, प्रबंधक उन सबका प्रयोग करता रहेगा, और जब कोई बालक इस प्रकार बाहर रखा जाये, तो अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसको स्कूल में निरूद्ध किया हुआ समझा जायेगा और ऐसे अपेक्षित अनुकूलनों (ऐडेप्टेशन्स) के अधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार बनाये, इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होगें :

बालकों का निवास

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस धारा में दी हुई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह धारा 69 के उपबंधों के प्रतिकूल छः वर्ष से कम अवस्था के किसी बालक को किसी अनुमोदित स्कूल में भेज सके ।

40— (1) जब कोई बालक अथवा अवयस्क अपराधी किसी अनुमोदित स्कूल में निरुद्ध हो, तो उस स्कूल का प्रबंधक, मुख्य निरीक्षक की सहमित लेकर, किसी भी समय उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी को इस विषय में नियत शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति—पत्र द्वारा किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ रहने की आज्ञा दे सकता है, जिसका नाम अनुज्ञप्ति—पत्र में दिया गया हो और जो उसे शिक्षित करने अथवा किसी उपयोगी व्यापार अथवा उद्यम की दिशा देने के लिये. उसको लेने और अपने अवधान में रखने के लिये तैयार हो ।

अनुज्ञप्ति पर बाहर भेजना

धारा 41}

- (2) अनुमोदित स्कूल में अवयस्क अपराधी के निरुद्ध होने के आरम्भ से छः माह के बाद किसी समय अनुमोदित स्कूल के प्रबंधक की सिफारिश पर मुख्य निरीक्षक, यदि उसे सन्तोष हो जाये कि वह उचित विचार से प्रत्याषित है कि अवयस्क अपराधी अब अपराध नहीं करेगा और उपयोगी तथा उद्यमी जीवन व्यतीत करेगा, ऐसे अपराधी को नियत शर्तों के अधीन स्कूल में छोड़ सकता है और एक नियत फार्म में अनुज्ञप्ति—पत्र द्वारा किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के निरीक्षण और अधिकार में, जिसे मुख्य निरीक्षक अनुमोदित करें और जो उस अपराधी को अपने अवधान में रखने को तैयार हो, रहने की आज्ञा दे सकता है।
- (3) उपधारा (1) और (2) के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति तब तक सप्रभाव रहेगी, जब तक कि उन शर्तों में से किसी के भंग होने के कारण जिन पर वह दी गई थी, वह निवर्तित अथवा जब्त न हो जाये।
- (4) स्कूल का प्रबंधक अथवा निरीक्षक, यथास्थित, किसी भी समय लिखित आज्ञा द्वारा ऐसी किसी भी अनुज्ञप्ति को निवर्तित कर सकता है और बालक अथवा अवयस्क अपराधी को स्कूल में लौट जाने की आज्ञा दे सकता है और ऐसा वह उस व्यक्ति अथवा संस्था की इच्छा से अवष्य करेगा, जिसके साथ जिसके पर्यवेक्षण में बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुज्ञप्ति द्वारा रखा गया है। यदि बालक अथवा अवयस्क अपराधी स्कूल में लौट जाने से प्रतिषेध (रिफ्यूज) करता है अथवा नहीं लौटता है तो स्कूल का प्रबंधक अथवा मुख्य निरीक्षक, यथास्थिति, यदि आवश्यक समझे तो उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है अथवा करवा सकता है और स्कूल में वापस ले जा सकता है अथवा वापस भिजवा सकता है।
- (5) जब अनुज्ञप्ति निवर्तित अथवा जब्त हो गयी हो और बालक अथवा अवयस्क अपराधी स्कूल वापस जाने में प्रतिषेध करता है अथवा वापस नहीं जाता है तो न्यायालय शपथ अथवा सत्यिनिश्ठा से प्रतिज्ञापन पर प्राप्त सूचना से संतुष्ट हो और समझता हो कि वह विश्वास कर लेने के लिये उपयुक्त आधार है तो माता पिता या संरक्षक उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी को उपस्थित कर सकता है तो वह एक आद्वान पत्र (सम्मन) जारी कर सकता है, जिससे माता पिता या संरक्षक को निर्दिष्ट दिन पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बालक अथवा अवयस्क अपराधी को उपस्थित करने के लिये आदेश हो और यदि माता, पिता या संरक्षक बिना किसी उपयुक्त कारण के आदेश के अनुसार ऐसा नहीं करता है, तो इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, जो उसका दायित्व हो उसके अतिरिक्त उसे एक सौ रूपये के जुर्मान से दिण्डत किया जायेगा।
- (6) जब माता, पिता अथवा संरक्षक को जुर्माना देने का आदेश इस धारा के अधीन दिया गया हो तो जुर्माने की धनराशि कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबंधों के अनुसार वसूल की जा सकती है ।

(7) वह समय जब कि इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन, बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुमोदित स्कूल से अनुपस्थित रहता है, उसके उस स्कूल में निरूद्ध रहने के समय का एक भाग ही समझा जायेगा, किन्तु जब बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुज्ञप्ति के निवर्तित अथवा जब्त हो जाने पर स्कूल वापस न आया हो तो इस प्रकार वापस न आने के के बाद व्यतीत हुआ समय उस समय की गणना में, जिसमें कि उसे स्कूल में निरूद्ध रहना है, सिमालित नहीं किया जायेगा ।

1898 ई0 का ऐक्ट संख्या

#### 41-- जो कोई भी--

(क) अनुमोदित स्कूल में निरूद्ध अथवा अनुज्ञप्ति पर स्कूल से बाहर रखे गये बालक अथवा अवयस्क अपराधी को स्कूल से, अथवा ऐसे व्यक्ति के पास से, जिसके साथ वह अनुज्ञप्ति पर रखा गया है, अथवा ऐसे व्यक्ति की देखभाल से जिसकी देखभाल में वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिया गया है, भाग निकलने के लिये जानबुझ कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है; अथवा

बालक अथवा अवयस्क अपराधी का भाग निकलन में दुरूत्साहन करने का दण्ड

धारा 42-44}

- (ख) जानबूझ कर किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी को, जो इस तरह भाग निकला हो, आश्रय देता है, छिपाता है, अनुमत करता है अथवा स्कूल को या उस व्यक्ति के पास जाने से, जिसके पास अनुज्ञप्ति पर वह रखा गया था अथवा जिसकी देखभाल में इस अधिनियम के अधीन वह रखा गया था, रोकता है अथवा ऐसा करने में जानबूझ कर सहायता देता है या अनुमत करता है, तो उसे दोनों में से किसी तरह के कारावास का दण्ड, जिसकी अविध दो मास तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है. दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेगें।
- 42— (1) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में इसके प्रतिकूल कोई बात होने पर भी कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे बालक अथवा अवयस्क अपराधी, जो किसी अनुमोदित स्कूल से या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास से जिसके पर्यवेक्षण में रहने के लिये उसे निर्देश किया गया था। अवरोध से भाग निकला हो, बिना बारंट के ही अपने अवधान (चार्ज) में ले लेगा और वह उस बालक के संबंध में कोई कार्यवाही निबद्ध किये बिना ही उसको फिर से अनुमोदित स्कूल में या उपयुक्त व्यक्ति के अवरोध में वापस भेज देगा और उस बालक के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस प्रकार भाग कर किसी विधि का उल्लंघन किया है, किन्तु उस स्कूल के अधिकारी या सम्बद्ध उपयुक्त व्यक्ति उसके साथ उस ढंग का व्यवहार करेगें, जिसे वे उचित समझे, किन्तु ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति, जिसके साथ ही उस न्यायालय को भी इस संबंध में सूचित करेगें, जिसने उक्त बालक को उनके या उसके पास पहले—पहल भेजा था।

भाग निकले हुये बालक के संबंध में पुलिस का काम

(2) जब किसी अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के अवरोध से भागकर निकला हुआ बालक किसी भिन्न स्थान में अवधान (चार्ज) में ले लिया गया हो तो वह उस समय तक किसी सुरक्षित स्थान में रखा जायेगा, जब तक कि वह वहां से हटाकर अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के अवरोध (कस्टडी) में भेज न दिया जाये ।

43— मुख्य निरीक्षक, किसी भी समय, उन कारणों से, जिन्हें वह लिपिबद्ध करेगा, किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी को एक अनुमोदित स्कूल से दूसरे में स्थानान्तरित करने का आदेश दे सकता है:

एक अनुमोदित स्कूल से दुसरे में भेजना

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी के निरोध का कुल समय ऐसे स्थानान्तरण से बढ़ाया नहीं जायेगा ।

44—— (1) राज्य सरकार, किसी भी समय बालक अथवा अवयस्क अपराधी को उस व्यक्ति की देखभाल से, जिसके पास वह इस अधिनियम के अधीन रखा गया हो, पूर्णतया अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिबंधों पर मुक्त कर सकती है।

मुक्त करना अथवा स्थानान्तरण

- (2) राज्य सरकार किसी भी समय बालक अथवा अवयस्क अपराधी को किसी अनुमोदित स्कूल से पूर्णतया अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिबंधों पर मुक्त करने की आज्ञा दे सकती है।
- (3) राज्य सरकार अनुशासन के हित में अथवा किन्हीं विशेष कारणों से किसी अनुमोदित स्कूल में निरूद्ध पन्द्रह वर्ष से अधिक अवस्था के अवयस्क अपराधी को यूनाइटेड प्रार्विसेज बोस्टेल ऐक्ट, 1938 के अधीन स्थापित बोर्स्टल संस्था में जेल देने की आज्ञा दे सकती है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसे अवयस्क अपराधी के निरोध का कुल समय ऐसे स्थानान्तरण से बढाया जा सकता है

(4) इससे ठीक पहले की उपधारा के अधीन अवयस्क अपराधी का बोर्स्टल संस्था स्थानान्तरण होने पर यूनाइटेड प्रार्विसेज बोर्स्टल ऐक्ट, 1938 के उपबन्ध उस अपराधी पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों उसे आरम्भ से ही उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्स्टल संस्था में निरुद्ध रहने के लिये आज्ञा दी गयी थी ।

{धारा 45-47}

45— वह अवधि, जिसके लिये बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुमोदित स्कूल में निरूद्ध किया जाये, उस आज्ञा में निर्दिष्ट होगा, जिसके द्वारा उसे वहां भेजा जायेगा और वह अवधि, यदि अवयस्क अवराधी आज्ञा देते समय पन्द्रह वर्ष से अधिक अवस्था का है तो दो वर्ष से और अन्य अवयस्क अपराधियों के संबंध में तीन वर्ष से, जैसा कि न्यायालय उसकी शिक्षा तथा प्रषिक्षण (ट्रेनिंग) के लिये उपयुक्त समझे, कम न होगी, परन्तु उस समय से अधिक किसी दषा में न होगी, जब कि न्यायालय के मत में वह अठारह वर्ष की अवस्था का हो जायेगा ।

निरोध की अवस्था

46— (1) राज्य सरकार, किसी अनुमोदित स्कूल के प्रबंधक से परामर्श करके उस स्कूल में किसी ऐसे व्यक्ति को स्थानान्तिरत करके भेजने की अपनी स्वीकृति दे सकती है, जिसकी अवस्था अठारह से कम हो और जिसके संबंध में भारत के किसी अन्य भाग में किसी समर्थ प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम की अथवा रिफामेंटरी स्कूल ऐक्ट, 1897 की आज्ञा के समान आज्ञा उस व्यक्ति को किसी अनुमोदित स्कूल अथवा रिफामेंटरी स्कूल अथवा इसी तरह के किसी अन्य स्कूल में भेजने के लिये हुई हो ।

अनुमोदित स्कूलों और उसी तरह से भारत के विभिन्न भागों के स्कूलों के मध्य स्थानान्तरण

(2) राज्य सरकार, किसी अनुमोदित स्कूल से किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी को भारत के किसी ऐसे अन्य भाग में इसी तरह के स्कूल में स्थानान्तरित करके भेजने आज्ञा दे सकती है, जिसके विषय में उस भाग की सरकार द्वारा किसी सप्रभाव विधि के अधीन मिलती जुलती व्यवस्था की गई हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी का स्थानान्तरण किसी अन्य राज्य को बिना उस राज्य की स्वीकृति लिये न होगा ।

47— (1) राज्य सरकार को इस बात का पता लगने पर किसी न्यायालय की आज्ञा के अधीन किसी अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रहने वाला बालक कोढ़ी है या किसी ऐसे रोग से पीड़ित है, जिसे राज्य सरकार ने नियत रीति से अछूत का रोग (कन्टेजियस) प्रख्यापित किया हो, तो इसे आगे छूत का रोग कहा गया है, राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उस बालक के कोढी होने या किसी छूत के रोग से पीड़ित होने के प्रमाणाधारों का उल्लेख करते हुये उसके किसी कुष्ठ निवारण गृह या अन्य सुरक्षित स्थान पर हटाये जाने और वहां उस अवधि के, जिसके लिये उसे उक्त स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के देखभाल में रखे जाने की आज्ञा हुई थी, अविशष्ट या भाग तक या यदि उस अवधि के समाप्त होने पर कोई चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित करें। उक्त बालक या अन्य लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उसका चैकित्सकीय देखरेख (मेडिकल केयर) या चिकित्सा में रहना आवश्यक है, तो जब तक वह विधितः उत्सृष्ट (डिस्चार्ज) न हो जाये, निर्दिष्ट रीति से उसे चिकित्सा के लिये रखे जाने की आज्ञा दे दे ।

अस्वस्थ बालक या कोढ़ के या अन्य क्रॉसगिंक रोगों से पीड़ित बालकों का स्थानान्तरण

(2) राज्य सरकार को इस बात का पता लगने पर किसी न्यायालय की आज्ञा के अधीन किसी अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के देखभाल में रहने वाला कोई बालक अस्वस्थ मनस्क (आफ अनसाउन्ड माइन्ड) है, राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उस बालक के अस्वस्थ मनस्क होने के प्रमाणाधारों का उल्लेख करते हुये उसके किसी मानसिक चिकित्सालय (मेन्टल हास्पिटल) या अन्य सुरक्षित स्थान में हटाये जाने और वहां उस अविध के लिये उसके उक्त स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखे जाने की आज्ञा हुई थी, अविशष्ट भाग तक या यदि उस अविध के समाप्त हो जाने पर चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित करें कि उक्त बालक या अन्य लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उसका चैकित्सा देखरेख या चिकित्सा में रहना अभी आवश्यक है तो तब तक जब तक वह विधितः उत्सृष्ट न हो जाये, निर्दिष्ट रीति से चिकित्सा के लिये रखे जाने की आज्ञा दे दे।

धारा 48-50}

- (3) जब राज्य सरकार को यह पता चले कि बालक अब स्वस्थ मनस्क या कुष्ठमुक्त या छूत के रोग से मुक्त हो गया है और यदि उस बालक को फिर निरोधन (कस्टडी) में रखा जाना हो तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को निर्देश देकर जिसके अवधान में वह बालक हो, आज्ञा देगी कि वह उस अनुमोदित स्कूल, जहां से या उस उपयुक्त व्यक्ति के पास से वह हटाया गया था, फिर भेज दिया जाये, किन्तु यदि अब उस बालक को निरोधन में नहीं रखा जाना है तो राज्य सरकार आज्ञा दे देगी कि वह उत्कृष्ट कर दिया जाये।
- (4) इंडियन ल्यूनसी ऐक्ट, 1912 की धारा 31 या लेपर्स, 1898 की धारा 14 के उपबंध यथास्थिति ऐसे प्रत्येक बालक पर लागू होगें, जो किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठ निवारण गृह में उपधारा (1) या (2) के अधीन उस अविध की समाप्ति पर, जिस तक उसे रखे जाने की आज्ञा हुई थी, रहे और जितने दिनों कोई बालक उक्त उपधारा के अधीन किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठ निवारण गृह में रहे उतने दिन उस अविध के, जिसके लिये उसके निरोधन में रखे जाने की आज्ञा हुई थी, भाग समझा जायेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जहां किसी अस्वस्थ मनस्क या कुष्ठ रोग से पीड़ित बालक का तत्काल हटाया जाना आवश्यक हो वहां उस संस्था के जहां उक्त बालक रखा गया रहा हो, अधिकारियों को अधिकार होगा कि यथास्थिति इंडियन ल्यूनसी ऐक्ट, 1912 की धारा 31 या लेपर्स, 1898 की धारा 14 के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र के न्यायालय को इस बात के लिये प्रार्थना कर सकें कि उस समय तक के लिये, जब तक इस संबंध में राज्य सरकार की आज्ञा प्राप्त न कर ली जा सकें तत्काल उसे पागलखाने या कुष्ठ निवारण गृह में भेज देने की आज्ञा दें।

#### अध्याय 7

#### अनुमोदित स्कूल तथा अन्य संस्थाएं

48—— (1) राज्य सरकार, बालक अथवा अवयस्क अपराधी को लेने के लिये स्कूल स्थापित कर सकती है और चला सकती है ।

स्कूलों की उपासना तथा उनका प्रमाणित किया जाना

- (2) किसी ऐसे स्कूल की प्रबंधक सिमित के प्रार्थना पत्र पर अथवा उसकी सम्मित प्राप्त करके जो उपधारा (1) के अधीन स्थापित न हुआ है, राज्य सरकार यह प्रमाणित कर सकती है कि वह स्कूल ऐसे बालकों अथवा अवयस्क अपराधियों को लेने के लिय उपयुक्त हैं, जो वहां इस अधिनियम के अनुसार भेजे जाये और ऐसे स्कूल की प्रबंधक सिमित को ऐसी सहायता, जिसे राज्य सरकार उसे चलाने के निमित्त उपयुक्त समझे, दे सकती है ।
- 49—— (1) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक स्कूल के नियंत्रण और प्रबंध के लिये राज्य सरकार एक अधिक्षक (सुपरिंटेंडेट) और एक समिति नियुक्त करेगी और वह अधीक्षक और समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस स्कूल के प्रबंधक समझे जायगें।

स्कूलों का प्रबंध

- (2) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणित प्रत्येक स्कूल ऐसे व्यक्तियों के प्रबंध में होगा, जिन्हें राज्य सरकार अनुमोदित कर दें और उक्त प्रकार अनुमोदित व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिय उस स्कूल के प्रबंधक समझे जायगें ।
- 50— (1) राज्य सरकार अनुमोदित स्कूलों का एक मुख्य निरीक्षक और इतनी संख्या में निरीक्षक या सहायक निरीक्षक जितनी की वह मुख्य निरीक्षक को सहायता के लिये आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति के, जो इस प्रकार मुख्य निरीक्षक की सहायता करने के लिये नियुक्त हो, मुख्य निरीक्षक के उतने अधिकार और कर्तव्य होगें, जितने के लिये राज्य सरकार आदेश दें, किन्तु वह मुख्य निरीक्षक के निर्देश के अधीन काम करेगा ।

अनुमोदित स्कूलों का निरीक्षण

धारा 51-55}

- (2) प्रत्येक अनुमोदित स्कूल का निरीक्षण मुख्य निरीक्षक अथवा सहायक निरीक्षक अथवा निरीक्षक द्वारा माह में एक बार होगा, किन्तु यदि ऐसा स्कूल केवल बालिकाओं के लेने के लिये हो और मुख्य निरीक्षक ने उसका निरीक्षण नहीं किया हो तो निरीक्षण, यदि व्यवहार्य (प्रेक्टिकल) हो, किसी स्त्री द्वारा किया जायेगा ।
- 51— अनुमोदित स्कूल का और उसके सब विभागों का निरीक्षण मुख्य निरीक्षक और इस कार्य के लिये नियुक्त निरीक्षक और सहायक निरीक्षक द्वारा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस विषय में अधिकार दें, हर समय हो सकेगा ।

निरीक्षकों के अधिकार

52— कोई ऐसा निबद्ध (रिजस्टर्ड) चिकित्सक, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस विषय में अधिकार प्राप्त हों, किसी भी समय उसके प्रबंधकों को सूचना देकर अथवा न देकर किसी भी अनुमोदित स्कूल का निरीक्षण, उसमें रहने वालों के स्वास्थ्य और स्कूल की सफाई की दशा के संबंध में मुख्य निरीक्षक का आख्या (रिपोर्ट) देने के उद्देश्य से कर सकता है: चिकित्सा निरीक्षक

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसा स्कूल केवल बालिकाओं के लिये हो तो निबद्ध (रजिस्टर्ड) चिकित्सक पुरूष उस स्कूल में उसके प्रबंधक को सूचना दिये बिना नहीं जायेगा ।

53— यदि राज्य सरकार किसी अनुमोदित स्कूल की दशा, उसके नियमों, प्रबंध अथवा अधीक्षक से असंतुष्ट हो तो स्कूल के प्रबंधक को सूचना देकर किसी भी समय यह घोषणा कर सकती है कि उक्त स्कूल का प्रमाण–पत्र सूचना में निर्दिष्ट तिथि से वापस ले लिया गया है और उसी दिनांक से प्रमाण–पत्र रद्द हो जायेगा और वह स्कूल अनुमोदित स्कूल नहीं रहेगा:

प्रमाण-पत्र वापस लेने का राज्य सरकार को अधिकार

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार उपयुक्त समझे तो प्रमाण-पत्र वापस लेने के स्थान में स्कूल के प्रबंधक को सूचना देकर सूचना के निर्दिष्ट समय तक के लिये अथवा जब तक सूचना का प्रतिसंहरण (रिवोकशन) न हो जाय, उस स्कूल में बालकों अथवा अवयस्क अपराधियों की भरती बंद कर सकती है:

यह भी प्रतिबंध है कि इस धारा अथवा उसके पृथक प्रतिबंध के अधीन सूचना जारी करने के पूर्व स्कूल के प्रबंधक का उपयुक्त अवसर इस बात का कारण दिखाने के लिये दिया जायेगा कि यथा स्थिति प्रमाण–पत्र वापस क्यों न लिया जाये अथवा स्कूल में भर्ती क्यों न बंद कर दी जाये ।

54— किसी अनुमोदित स्कूल का प्रबंधक मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार को अपने अभिप्राय के संबंध में छः मास की लिखित सूचना देकर स्कूल के प्रमाण-पत्र को त्याग कर सकता है और ऐसी सूचना के दिनांक से छः मास व्यतीत होने पर, यदि उस समय के पूर्व सूचना वापस न ले ली जाये, प्रमाण-पत्र का त्याग सप्रभाव हो जायगा और वह स्कूल अनुमादित स्कूल न रहेगा ।

प्रबंधक द्वारा प्रमाण–पत्र का त्याग

55— प्रमाण—पत्र की वापसी की सूचना स्कूल प्रबंधक द्वारा प्राप्त होने के दिनांक के बाद प्रमाण—पत्र के त्याग की सूचना के दिनांक के बाद, किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी को इस अधिनियम के अनुसार अनुमोदित स्कूल में नहीं किया जायगा, किन्तु उपर्युक्त दिनांको पर निरुद्ध बालकों अथवा अवयस्क अपराधियों के शिक्षा, शिक्षण, निवास, कपड़ा तथा खाना देने का आभार (दायित्व) जिसका उल्लेख इस अधिनियम में आगे किया गया है, उस स्थिति को छोड़कर उसके विषय में राज्य सरकार भिन्न प्रकार आदेश दे, प्रबंधक का ही तब तक बना रहेगा जब तक कि प्रमाण—पत्र की वापसी अथवा उसका त्याग सप्रभाव न हो जाय।

प्रमाण–पत्र वापस लेने अथवा त्याग देने का प्रभाव

धारा 56-60}

56— किसी स्कूल के अनुमोदित न रहने पर, उत्सर्जन (डिस्चार्ज) तथा स्थानान्तरण करने से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसमें निरुद्ध बालकों अथवा अवयस्क अपराधियों पूर्णतया अथवा कुछ ऐसी शर्तो पर जिन्हें राज्य सरकार लगाये, मुक्त कर दिया जायगा अथवा राज्य सरकार की आज्ञा से किसी दूसरे अनुमोदित स्कूल में स्थानान्तरण करके भेज दिया जायेगा ।

प्रमाण—पत्र की वापसी अथवा त्याग पर रहने वालों का व्यवस्थापना

57— राज्य सरकार अनुमोदित स्कूलों के किन्ही निवासियों अथवा निवासियों के किन्ही वर्गों को लेने के लिये सहायक निवास (आग्जिलयरी होम्स) स्थापित कर सकती है अथवा अब से पूर्व किसी अन्य संस्था द्वारा स्थापित या बाद में स्थापित होने वाले किसी ऐसे निवास को प्रमाणित कर सकती है और इन प्रमाण—पत्रों को स्कूल के प्रमाण—पत्रों की तरह वापस लिया अथवा त्याणा जा सकता है और ऐसा प्रत्येक निवास राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये उस अनुमोदित स्कूल अथवा उन अनुमोदित स्कूलों का भाग हो, समझा जायेगा जिससे कि वह सम्बद्ध हो ।

सहायक निवास स्थान

58— किसी ऐसे अनुमोदित स्कूल का प्रबंधक, जिसे राज्य सरकार ने स्थापित न किया हो, ऐसे किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी के लेने से प्रतिषेध (रिफ्यूज) कर सकता है, जिसे इस अधिनियम के अनुसार उसके पास भेजना प्रस्तावित हो, किन्तु एक बार किसी ऐसे बालक अथवा अवयस्क अपराधी का स्वीकार कर लेने पर यह समझा जायेगा कि उस पूर्णकाल तक के लिये जिसमें उस स्कूल में निरुद्ध रखना है अथवा जब तक कि स्कूल के प्रमाण—पत्र की वापसी अथवा उसका त्याय सप्रभाव नहीं होता, उस प्रबंधक ने उसे शिक्षा, शिक्षण, निवास—स्थान, कपड़ा और खाना देने का भार ले लिया है।

प्रबंधको के दायित्व

59— (1) राज्य सरकार, दिरद्र बालकों को लेने वाली किसी ऐसी संस्था का, जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से चंदे की सहायता पर निर्भर हो और जिसका सरकारी अधिकार से या उसके अधीन निरीक्षण न किया जा सकता हो, निरीक्षण समय—समय पर किसी उपयुक्त काल में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा बालकों के स्वास्थ्य और क्षेत्र कुशल और उस स्थान की स्वच्छता सुरक्षित रखने के लिये करा सकती है।

छरिद्र बालको को लेने वाली संस्थाओं का निरीक्षण

- (2) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक उपयुक्त काल पर संस्था में जाने का और वहां का तथा उससे सम्बद्ध रजिस्टरों तथा पत्रादिकों का पूर्णरूप से निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, जो उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालेगा, दोषी ठहराये जाने पर पचास रूपये तक का जुर्माना देने का दण्ड का भागी होगा।
- (3) यदि कोई ऐसी संस्था किसी धर्म विशेष के सिद्वान्तों के अनुसार चलाई जाती हो और यदि उस संस्था का प्रबंधक चाहे तो राज्य सरकार उसी धर्म के अनुयायी व्यक्ति की नियुक्ति, जहां ऐसा व्यवहार हो, उस संस्था में जाने और उसका निरीक्षण करने के लिये करेगा।
- (4) यदि ऐसी संस्था केवल बालिकाओं को लेने के लिये हो तो निरीक्षण, साधारणतया किसी महिला द्वारा किया जायेगा ।

#### अध्याय ८

#### इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र प्राप्त न्यायालयों के अधिकार और कार्य

60— (1) राज्य सरकार, किसी जिले में किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये एक अवयस्क न्यायालय (जुविनाइल कोर्ट) स्थापित कर सकती है और ऐसे न्यायालय के लिये जज (विचारापति) नियुक्त कर सकता है। अवयस्क न्यायालय

धारा 61-64}

- (2) इस अधिनियमों के प्रयोजनों के लिये न्यायालय का तात्पर्य ऐसे अवयस्क न्यायालय से है, जो राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के लिये स्थापित किया जाये और उसके अन्तर्गत सेशन न्यायालय और प्रथम श्रेणी का ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसे इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये विशेष रूप से अधिकार दिया गया हो।
- 61— उस स्थिति को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था भिन्न प्रकार से अधिनियम में की गई हो :-

अवयस्क न्यायालयों और अन्य न्यायालयों के अधिकारी

- (1) जब किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये कोई आवश्यक न्यायालय स्थापित किया गया हो तो ऐसा न्यायालय उन सब अभियोगों पर, जिनमें किसी बालक पर विधि के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया हो, विचार करेगा और इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अन्य सभी कार्यवाहियों के विषय में कार्य करेगा और उसका निस्तारण करेगा, किन्तु उक्त न्यायालय को किसी ऐसे अभियोग पर विचार करने का अधिकार न होगा, जिसमें किसी प्रौढ़ (एडल्ट) पर अध्याय 3 के अधीन अपराध का आरोपण किया गया हो; और
- (2) जब किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये कोई आवश्यक न्यायालय स्थापित किया गया हो तो उन न्यायालयों को छोड़कर जिन्हें धारा 60 के अधीन अवयस्क न्यायालय के अधिकारों (पावर्स) का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो, किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे अभियोग के विषय में, जिसमें किसी बालक पर विधि के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया हो, कार्य करने का या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के विषय में कार्य करने या उसका निस्तारण करने का अधिकार नहीं होगा।
- 62— (1) यदि किसी ऐसे मिजस्ट्रेट का जिसे इस अधिनियम के अधीन न्यायालय की शक्तियों (पावर्स) का प्रयोग करने का अधिकार न दिया गया हो, यह मत हो कि उसके सामने लाया गया बालक किसी अनुमोदित विद्यालय में भेजे जाने या इस योग्य है कि उसके संबंध में अन्य प्रकार का ऐसा कार्य किया जाये, जिससे कि इस अधिनियम के अधीन उस विषय में कार्यवाही की जा सकें, तो वह ऐसे मत को लिपिबद्ध करेगा और अपने यहां से हुई कार्यवाही (प्रोसेडिंग) की और उक्त बालक को सबसे पास के उस विषय में अधिक्षेत्र प्राप्त अवयस्क न्यायालय में या सबसे पास के ऐसे मिजस्ट्रेट के पास भेज देगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो ।

उस दशा में प्रक्रिया अब मजिस्ट्रेट की इस अधिनियम के अधीन आज्ञा देने की शक्ति (पॉवर)

- (2) ऐसा न्यायालय या मैजिस्ट्रेट जिसके पास इस प्रकार से कार्यवाही (प्रोसेडिंग) भेजी जाये, ऐसी और जांच, यदि वह कोई करना चाहे और जिसे वह उपयुक्त समझे, कर सकता है और एसी आज्ञायें दे सकता है, जो उस दशा में वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट देता जब वह बालक पहले पहलं उसके सामने लाया जाता या उसके द्वारा बालक के अपराध पर विचार किया जाता ।
- 63— यदि किसी बालक पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो बालक न हो, किसी अपराध का आरोप किया जाये तो इस अधिनियम में कोई बात इसके विपरीत होने पर भी बालक के अपराध का विचार कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबंधों के अनुसार प्रौढ़ के साथ किया जा सकता है और इस अधिनियम की किसी बात से यह आवश्यक न होगा कि बालक के अपराध का विचार अवयस्क न्यायालय द्वारा किया जाये, किन्तु यदि बालक को कोई दण्ड दिया जायेगा तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

बालक और प्रौढ़ का संयुक्त विचार

64— उस परिस्थितियों को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई हो अवयस्क न्यायालय को किसी बैठक में निम्नलिखित को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित न रहेगा :— अवयस्क न्यायालयों मे व्यक्तियों की उपस्थिति

- (क) न्यायालय के सदस्य और अधिकारी ;
- (ख) न्यायालय के सामने प्रस्तुत अभियोग के पक्ष और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनका सीधा संबंध अभियोग से हो, जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी भी है ;
- (ग) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें न्यायालय उपस्थित होने के लिये विशेष रूप से अधिकृत करें ।

(धारा 65-70)

65— यदि किसी अभियोग या कार्यवाही (केस या प्रोसीडिंग) के विचार की अवस्था पर अवयस्क न्यायालय बालक के हित की दृष्टि से किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत उसका पिता माता या संरक्षक या पत्नी या पित या स्वयं बालक भी है, न्यायालय के बाहर चले जान का विचार करना उपपन्न समझे, तो न्यायालय को ऐसा निर्देष करने का अधिकार होगा और ऐसा करने पर ऐसा व्यक्ति न्यायालय के बाहर चला जायेगा । यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के बाहर न जाये तो न्यायालय उसे हटाने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है ।

अवयस्क न्यायालयों से व्यक्तियों का हट जाना

66— यदि अभियोग या कार्यवाही के विचार की किसी अवस्था पर न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अभियोग या कार्यवाही की सुनवाई के प्रयोजनों के लिये बालक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तो न्यायालय उसे उपस्थित होने से मुक्त कर सकता है और अभियोग का विचार बालक की अनुपस्थिति में कर सकता है।

बालक की अनुपस्थिति से

67— यदि शालीनता या नैतिकता (डिसेन्सी आर मारेलिटी) के विरूद्ध किये गये किसी अपराध या उसके विरूद्ध आचरण से सम्बद्ध किसी अभियोग या कार्यवाही के विचार किसी की अवस्था पर कोई बालक विचार देने के लिये बुलाया जाये तो अभियोग पर विचार करने वाला या कार्यवाही में प्रवृत्त कोई न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे और अभियोग या कार्यवाही के पक्ष, उनके विधिक परामर्श देने वाले, और अभियोग या कार्यवाही के सम्बद्ध अधिकारी न हों, न्यायालय से बाहर चले जाने का निदेश कर सकता है। ऐसा करने पर ऐसे व्यक्ति न्यायालय से बाहर चले जोंगे। यदि कोई व्यक्ति बाहर न जाय तो न्यायालय उसे हटवाने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है।

बालक के साक्षी के रूप में परीक्षण के समय न्यायालय से व्यक्तियों का हट जाना

68— इस अधिनियम के अधीन न्यायालय द्वारा दी जाने वाली किसी आज्ञा के प्रयोजनों के लिये न्यायालय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेगा :-- आज्ञायें देते समय न्यायालयों द्वारा कुछ बातों पर विचार करना होगा

- (क) बालक की अवस्था ;
- (ख) जीवन की परिस्थित, जिसमें बालक रहता है ;
- (ग) सुधार अधिकारी द्वारा उसके संबंध में दी हुई आख्यायें (रिपोर्टस); और
- (घ) ऐसी अन्य बातें जिन पर बालक के हित की दृष्टि से न्यायालय के मत में विचार करना आवश्यक हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब यह पाया जाये कि किसी अवयस्क अपराधी ने विधि का उल्लंघन किया है तो उस अवयस्क अपराधी के विरूद न्यायालय द्वारा इस निर्णय का कि उसने विधि का उल्लंघन किया है, उल्लेख करने के बाद ही उपर्युक्त बातों के संबंध में विचार किया जायेगा ।

#### अध्याय 9

#### साधारण और विविध

69— कोई न्यायालय किसी बालक या अवयस्क अपराधी को, जिसकी अवस्था दस वर्ष से कम हो, अनुमोदित स्कूल में भेजने की आज्ञा न देगा, जब तक कि किसी कारण से, जिसके अन्तर्गत यह कारण भी है कि अभियुक्त के समान ही धार्मिक विचार रखने वाला ऐसा व्यक्ति जो उसे अपनी देखभाल में रखने के लिये राजी हो, उपलब्ध नहीं है, न्यायालय को यह विष्वास न हो जाये कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है ।

अनुमोदित स्कूलों में भेजने के लिये न्यूनतम अवस्था

70— प्रत्येक न्यायालय अपने सामने देखभाल के लिये अथवा अपराधी की हैसियत से या अन्य प्रकार से लाये गये बालक के हित का ध्यान रखेगा और उचित दशा में बालक को दूशित वातावरण से हटाने का तथा उसकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षण की उचित व्यवस्था के लिये प्रबंध करेगा । बालकों और अवयस्कों के विषय में न्यायालयों द्वारा पालन किये जाने वाले सिद्वान्त

धारा 71-74}

71— (1) कोई समाचार—पत्र इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के समाचार में बालक का नाम, पता, विद्यालय या ऐसा विवरण न छापेगा, जिससे वह बालक उस व्यक्ति के रूप में, जिसके विरूद्ध या जिसके संबंध में उक्त कार्यवाही चलाई गई हो या उसमें साक्षी के रूप में पहचाना जा सकें और किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे बालक का, जिसका संबंध उपयुक्त कार्यवाही से हो, चित्र या ऐसा चित्र जिसमें वह हो, नहीं छापा जायेगा :

समाचार-पत्रों में कुछ समाचार छापने की मनाही

किन्तु प्रतिबंध यह हे कि यदि राज्य सरकार को किसी बालक में यह सन्तोष हो तो कि ऐसा करना न्याय के हित में है तो वह इस धारा में दिये हुये प्रतिबंध को अपनी आज्ञा से उस सीमा तक हटा सकती है, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायें ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के विरूद्ध कोई समाचार छापेगा तो उसे दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अविध दो मास तक हो सकती है, या जुर्माने का दण्ड, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा, या दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकेगें।

72— सुधार अधिकारी की आख्या या कोई और आख्या, जिस पर न्यायालय ने धारा 68 के अधीन विचार किया हो, गुप्त रखी जायेगी। सुधार अधिकारी की आख्या और अन्य आख्याओं को गुप्त समझना

73— (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर अपराध लगाया गया हो अथवा नहीं, किसी न्यायालय में गवाही देने से भिन्न प्रयोजन से उपस्थित किया जाये और न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि वह बालक है, तो वह न्यायालय उक्त व्यक्ति की अवस्था के बारे में उचित जांच कर सकता है और उसके निमित्त जो गवाही मिले, उसे ले सकता है और उस अपना निर्णय, जिसमें बालक की निकटतम अवस्था लिखी रहेगी, अभिलिखित कर सकता है ।

आयु की परिकल्पना और उसका आचरण

(2) इससे ठीक पहले की उपधारा के अधीन न्यायालय का यह प्रख्यापन की उसके सामने उपस्थित किये गये व्यक्ति की अवस्था सोलह वर्ष से कम है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगा और कोई न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के समय उक्त घोषणा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

74— (1) स्कूलों के संबंध में यह अवधारित करते समय कि किस स्कूल में बालक या अवयस्क अपराधी को इस अधिनियम के अधीन भेजा जाये, न्यायालय बालक या अवयस्क अपराधी का धर्म मालूम करेगा और यदि ऐसा स्कूल चुनेगा, जहां उसके धर्म की शिक्षा संबंधी सविधायें हों । उन व्यक्तियों का धर्म, जिन्हे बालक सौंपा जाये

- (2) उस बालक को अवधारित करते समय जिसकी देखभाल में इस अधिनियम के अधीन बालक दिया जाये, न्यायालय उस व्यक्ति के धर्म को मालूम करेगा जो ऐसा भार लेता हो जो न्यायालय के मत में पर्याप्त हो कि बालक का पालन पोषण उसके धर्मानुसार होगा और उक्त धर्म का उल्लेख आज्ञा में किया जायेगा।
- (3) किसी ऐसी आज्ञा के आधार पर यदि कोई बालक ऐसी व्यक्ति की देखभाल में दे दिया गया हो, जो बालक के धर्म का अनुयायी न हो या जिसने भार न लिया हो, वह न्यायालय जिसने उक्त आज्ञा दी हो, या वेसे ही अधिक्षेत्र का दूसरा न्यायालय, किसी व्यक्ति के इस संबंध में प्रार्थना पत्र पर और यह प्रतीत होने पर कि बालक के धर्म का कोई उपयुक्त व्यक्ति है अथवा कोई ऐसा व्यक्ति है जो बालक का उपयुक्त भार लेगा और यदि उक्त व्यक्ति यदि बालक की देखभाल के लिये तैयार है तो उसे उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में बालक को देने के लिये आज्ञा देगा ।

**धारा 75-76**}

- (4) यदि बालक को किसी ऐसे अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये जहां उसके धर्म की शिक्षा की सुविधायें न हो अथवा उसे ऐसे व्यक्ति को सौप दिया जाये जो इस बात का भार न लेता हो कि सौंपे गये बालक का पालन पोषण उसके धर्मानुसार होगा, तो न्यायालय उक्त स्कूल अथवा उक्त व्यक्ति से इस बात की प्रतिज्ञा लेगा कि बालक की शिक्षा तथा पालन पोषण उसके धर्म के अतिरिक्त किसी और धर्म में न होगा ।
- (5) यदि किसी बालक को बाहर रखा गया हो अथवा यदि बालक या अवयस्क अपराधी की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) द्वारा यह अनुज्ञा दे दी गई हो कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहे तो स्कूल का प्रबंधक इस काम के लिये उसके उसी धर्म का व्यक्ति का चुनाव करेगा, जो यथास्थिति बालक या अवयस्क अपराधी का हो और यदि ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो तो वह ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगा, जो इस बात का कि बालक या अवयस्क अपराधी की शिक्षा तथा पालन—पोषण उसके धर्मानुसार ही होगा, सन्तोषप्रद भार ले, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति न मिले तो उसके किसी अन्य व्यक्ति को धारा 39 अथवा 40 के अधीन यथास्थिति सौंप दिया जायेगा।
- (6) जब कोई बालक किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल में दिया गया हो, जिसने उपयुक्त भार तो लिया हो किन्तु उक्त भार का निर्वाह न करता हो तो बालक उक्त व्यक्ति की देखभाल से हटा लिया जायेगा और इस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसकी व्यवस्था की जा सकती है।
- (7) जब किसी बालक के धर्म से अभिरूचि रखने वाले किसी व्यक्ति को बालक के धर्म बदलने के प्रयत्न या उसके धर्म में हस्तक्षेप का समाचार मिले तो वह व्यक्ति न्यायालय को इस बात का प्रार्थना पत्र दे सकता है ओर न्यायालय को संतुष्ट हो जाने पर उक्त बालक को उक्त संस्था अथवा उक्त व्यक्ति की देखभाल से निकाल लेने की आज्ञा दे सकता है और अन्य उपयुक्त व्यक्ति अथवा संस्था की देखभाल में उसे दे सकता है ।

75— कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बालक समझा जायगा, यदि इस अधिनियम के अधीन उसके विरूद्ध किसी कार्यवाही के प्रारम्भ होने के समय या उसकी गिरफ्तारी के समय, जिसके संबंध में उसके विरूद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ की जाये, उसने धारा 2 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट अवस्था प्राप्त न की हो :

निर्दिष्ट आयु प्राप्त कर लेने पर भी बालक के विरूद्ध व्यवहार (प्रोसीडिंग) का जारी रहना ।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली कार्यवाही के समय में ऐसा व्यक्ति उक्त खण्ड में निर्दिष्ट अवस्था प्राप्त कर ले, तो कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है, वह बराबर चलती रहेगी और इस नियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के संबंध में आज्ञायें दी जा सकती है मानो इस अधिनियम में कोई बात इसके विपरित होने पर भी वह व्यक्ति बालक ही था।

76—— (1) किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के प्रवृत्त किये जाने के दिनांक से उसमें रिफामेंटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 के उपबंध और कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारायें 29—बी और 399 प्रचलित न रहेगी । निवर्तन 1898 का एक्ट सं 5

(2) किसी अवयस्क अपराधी के विषय में, जो किसी क्षेत्र में रिफामेंटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार किसी रिफामेंटरी स्कूल में उस दिनांक के पहिले, जिस पर उपर्युक्त अधिनियम उपर्युक्त क्षेत्र में उपधारा (1) के अधीन लागू न रहें, निरुद्ध हो, उस दिनांक से यह समझा जायेगा कि उसके निरोधन की आज्ञा इस प्रकार की गयी है, मानो उस अवयस्क अवराधी के विरुद्ध प्रारम्भ से ही इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गई थी और जिस रिफामेंटरी स्कूल में वह निरुद्ध हो, वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित अनुमोदित स्कूल समझा जायेगा। ऐसे अवयस्क अपराधी को निरुद्ध करने या अनुज्ञप्ति द्वारा उसे बाहर रखने की रिफामेंटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 के अधीन दी गई आज्ञा के विषय में उस दिनांक से यह समझा जायेगा कि वह आज्ञा इस अधिनियम के किसी अनुरूप

उपबंध के अधीन दी गई है और यथासंभव तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे अवयस्क

अपराधी पर लाग होगें।

1898 ई0 का ऐक्ट सं0 8

1897 ई0 का ऐक्ट सं0 8

(धारा 77-84)

77— टिहरी गढ़वाल राज्य बाल धूम्रपान निषेध ऐक्ट, 1949 निवर्तित (रिपील) किया जाये और एतदद्वारा किया जाता है।

78— कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 के अध्याय 42 के उपबंध जहां तक संभव हो, इस ऐक्ट के अधीन निष्पादित बंधनामा पर लागू होगें । 1897 ई0 का ऐक्ट संख्या 8 के अधीन बंधनामा

79—— (1) धारा 3, 29, 30, 31, 38, 40 या 41 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी की हुई आज्ञा के विरुद्ध अपील निम्नलिखित हो सकती है——

अपील और पुनरीक्षण

- (क) सेशन्स जज को, यदि आज्ञा अवयस्क न्यायालय या प्रथम श्रेणी के ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसे इस संबंध में विशेष रूप से धारा 60 के अधीन अधिकार दिया गया हो, जारी की गयी है; और
  - (ख) हाई कोर्ट में, यदि आज्ञा सेशन्स जज द्वारा दी गई हो।
- (2) इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी आज्ञा का, जो उपधारा (1) के अधीन अपील योग्य न हो, हाई कोर्ट प्नरीक्षण कर सकता है ।

80-- धारा ७९ की उपधारा (1) के अधीन अपील --

अपील करने की अवधि

- (क) यदि वह उक्त उपधारा के खण्ड (क) के अधीन हो तो अवयस्क न्यायालय या मैजिस्ट्रैट द्वारा दी गई आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर की जा सकेगी:
- (ख) यदि वह उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन हो तो सेशन्स जज द्वारा दी गई आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर की जा सकेगी।

81— इस अधिनियम के अन्तर्गत कही गयी किसी बात का यह अर्थ न होगा कि वह गार्जियन एण्ड बार्ड्स ऐक्ट, 1890 की धारा 4 की उपधारा (5) में परिभाषित न्यायालय के अभिक्षेत्र या अधिकार पर कोई प्रभाव डालती है या उनमें कमी करती है । न्यायालय अधिक्षेत्र का बचाव

82— अपील और पुनरीक्षण (रीविजन) के न्यायालयों के अधिकारों पर विपररत प्रभाव डाले बिना, वह न्यायालय, जिसने आज्ञा दी हो, किसी अवरोध (कस्टडी), पर्यवेक्षण (सुपरवीजन) या परीक्षण (प्रोवेशन) की आज्ञा में, उसमें नामांकित अभिरक्षक, पर्यवेक्षक या सुधार अधिकारी के विषय में, परीक्षण काल के विषय में और अन्य ऐसे ब्यौरे के विषयों में, जो उसमें उल्लिखित हो, संशोधन कर सकता है।

आज्ञाओं में संशोधन करने का अधिकार

83— जब किसी बालक के संबंध में यह निर्णय हो जाय कि उसने विधि का उल्लंघन किया है तो इस बात का कि उसके संबंध में यह तथ्य निर्णित हो चुका है, न तो इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 75 या कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 565 कि अधीन कोई प्रभाव होगा और न वह किसी अधिनियम के अधीन कोई पद या नियुक्ति (इम्प्लायमेंट) प्राप्त करने या निर्वाचन में खड़े होने के लिये अयोग्यता होगी।

अभिशक्तियो संबंधी अयोग्यता का निवारण

84— कोई व्यक्ति, जिसकी देखभाल में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई बालक रखा जाये, आज्ञा के प्रचलित रहने की अविध में बालक पर ऐसा नियंत्रण रखेगा मानो वह उसकी माता या पिता और वह उस बालक के भरण पोषण के लिये उत्तरदायी होगा और उसके माता या पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको प्राप्त करने की मांग के होते हुये भी, वह बालक न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अविध तक उसकी देखभाल में रहेगा ।

बालक के अभिरक्षण (कस्टोडियन) पर नियंत्रण

धारा 85-88}

85— सुधार अधिकारियों और अन्य सब व्यक्तियों को, जिन्हें इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया जाये या अधिकार प्राप्त हो, इंडियन पेनिल कोड, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) समझा जायेगा।

सुधार अधिकारी और व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक समझे जाने के लिये अधिकृत किया जाता है

86— कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार, किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे काम के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसके करने का अभिप्राय हो, राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जायेगा । इस अधिनियम के अधीन किये गये काम का बचाव

87— इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये सब या किसी अधिकार (पावर) का प्रयोग ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, जिन्हें इस संबंध में राज्य सरकार विज्ञप्ति देकर निर्दिष्ट करे, किया जा सकता है।

अधिकारों का समर्पण

88—— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है, किन्तु ऐसा करने से पहले उन्हें प्रकाशित करना आवश्यक होगा । नियम

- (2) विशेषतः और इसके पूर्वगत अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये नियमों में निम्नलिखित में से सब या किसी विषयों की व्यवस्था हो सकती है :--
  - (क) अनुमोदित स्कूलों अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में बालको अथवा अवयस्क अपराधियों को भेजने की आज्ञा के विषय ;
  - (ख) सुधार अधिकारी की नियुक्ति, त्याग पत्र, पदच्युति से सम्बद्व आनुषंगिक विषय तथा उनको दिया जाने वाला परिश्रमिक और खर्चा;
    - (ग) सुधार अधिकारी के कर्तव्य;
  - (घ) ऐसी शर्ते, जिन पर राज्य सरकार सोसाइटियों और संस्थाओं को उनमें सुधार अधिकारी रखने के लिये मान्य करें ;
  - (ङ) वह रीति, जिसके अनुसार अवयस्क अपराधी परीक्षण काल के लिये मुक्त किया जायें ;
  - (च) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन कोई अवयस्क अपराधी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) पर छोड़ा जाये, ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) का फार्म तथा शर्तें ;
  - (छ) अनुमोदित स्कूलों और सहायक निवास स्थानों का स्थापन और उनका चलाना और उक्त स्कूलों या सहायक निवास स्थानों की मान्यता को प्रमाणित करना ;
    - (ज) अनुमोदित स्कूलों और सहायक निवास स्थानो का प्रबंध ;
    - (झ) निरीक्षकों (विजिटर्स) की नियुक्ति तथा उसके कार्यकाल की अवधि ;
    - (ञ) अनुमोदित स्कूलों का निरीक्षण ;
  - (ट) अनुमोदित स्कूलों में रहने वालों का भरण पोषण और उनका शिक्षा संबंधी, उद्योग संबंधी, धर्म या सदाचार संबंधी या अन्य प्रकार का प्रशिक्षण ;
  - (ठ) अनुमोदित स्कूलों तक अवयस्क अपराधियों और बालकों को पहुँचाने की व्यवस्था :
  - (ड) अनुमोदित स्कूलों में रखने वालों को स्कूल से थोड़े समय के लिये अनुपस्थिति की आज्ञा ;
    - (ढ) अनुमोदित स्कूलों में रहने वालों से मिलना और उससे पत्र व्यवहार;

(धारा 88)

- (ण) अनुमोदित स्कूलों में रहने वालों द्वारा किये गये अपराधों के लिये दण्ड ;
- (त) धारा 57 में बतायी गयी रीति के अनुसार संस्थाओं का निरीक्षण;
- (थ) गिरफ्तार किये हुए, फिर से निरोधन में भेजे हुये (रिमान्डेड) या अभियोग के विचार के लिये भेजे हुये बालकों के निरोध की रीति;
  - (द) अवयस्क न्यायालयों में कार्यवाही की प्रक्रिया ;
- (ध) अवयस्क न्यायालयों से भिन्न किसी दूसरे न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन अभियोग या जांच के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
- (न) बालकों के संबंधी अथवा उपयुक्त व्यक्ति देखभाल में सीखने की रीति से और ऐसे लोगों के कर्तव्य और ऐसे बालकों का पर्यवक्षण ;
- (प) माता–पिता तथा अन्य लोगों से जिन पर बालकों और अवयस्क अपराधियों के पोषण का भार हो, अंशदान दिया जाना ;
- (फ) बालकों को अनुमोदित संस्थाओं से बाहर रखना (बोडिंग हाउस) और बालकों तथा अवयस्क अपराधियों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) देना तथा उनका परीक्षण और उनके संबंध में आख्यायें (रिपोर्ट) प्रस्तुत करना।

#### (इस अधिनियम के प्रथम पृष्ठ के फुटनोट 2 पर देखें)

क्रमांक	जिले का नाम	धारायें जो प्रवृत्त हुई	प्रवृत्ति का दिनांक	विज्ञप्ति की संख्या तथा दिनांक
1	2	3	4	5
1	कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी,	समस्त धारायें	23 जून 1962	सं० ६२७(पी) / छत्तीस—स०क०—५७६(पी)—६१
	आगरा, लखनऊ तथा बरेली			दिनांक 20 जून, 1962 ।
2	गोरखपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, उन्नाव, इटावा, झांसी, मथुरा, एटा, मेरठ, सहारनपुर,	समस्त धारायें	23 जून 1962	सं० ६२७(पी) / छत्तीस—स०क०—५७६(पी)— ६१, दिनांक २० जून, १९६२ ।
	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल तथा अल्मोड़ा			
3	फैजाबाद, झांसी तथा मेरठ	3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	24 जुलाई 1965	सं० ४३२(पी) / छत्तीस—स०क०—४८(पी)—65, दिनांक १२ जुलाई, १९६५ ।
4	मुरादाबाद	समस्त धारायें	11 नबम्बर 1967	सं0 ४९९५ / छत्तीस—स०क०—32(पी)—67, दिनांक ३० अक्टूबर १९६७ ।
5(अ)	बस्ती	समस्त धारायें	7 सितम्बर 1968	सं० ४६७० / छत्तीस—स०क०—32(पी)—67, दिनांक २९ अगस्त १९६८
5(ब)	सहारनपुर तथा नैनीताल	3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	7 सितम्बर 1968	सं० ४६७० / छत्तीस—स०क०—32(पी)—67, दिनांक २९ अगस्त १९६८
6	बलिया	समस्त धारायें	11 अक्टूबर 1969	सं0 4546 / छत्तीस—स0क0—32(पी)—67, दिनांक 25 सितम्बर 1969
7	मिर्जापुर	3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	11 अक्टूबर 1969	सं० ४५४६(१) / छत्तीस—स०क०—32(पी)—67, दिनांक २५ सितम्बर १९६९
8	शाहजहांपुर तथा हरदोई	समस्त धारायें	11 दिसम्बर 1971	सं0 5246 / छत्तीस—स0क0—32(पी)—67, दिनांक 23 नवम्बर 19741
9	इटावा तथा गाजीपुर	3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	11 दिसम्बर 1971	सं0 5246(1) / छत्तीस—स0क0—32(पी)—67, दिनांक 23 नवम्बर 19741

#### THE UTTAR PRADESH CHILDREN ACT, 1951<sup>1</sup>

[U. P. Act No. 1 of 1952]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 26, 1951 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 28, 1951.

Received the assent of the President on February 5, 1952, under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in Gazette Extra, dated February 19, 1952.]

#### AN ACT

to consolidate and amend the law for the custody, protection treatment and rehabilitation of children and for the custody, trial and punishment of youthful offenders and for the amendment of the Reformatory Schools Act, 1897 in its application to Uttar Pradesh.

Preamble

Act No. 8 of 1897

WHEREAS it is expedient to provide for the custody, protection treatment and rehabilitation of children and for the custody, trial and punishment of youthful offenders and for the amendment of the Reformatory Schools Act, 1897 in its application to the Uttar Pradesh;

It is hereby enacted as follows: --

#### **CHAPTER I**

#### **PRELIMINARY**

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Children Act, 1951.
  - (2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.
  - (3) This section and section 77 shall come into force at once.
  - (4) The State Government may, by notification<sup>2</sup> in the official Gazette, direct that all or any of the remaining provisions of this Act shall come into force in any local area on such date or dates as may be specified in such notification.
  - (5) Notwithstanding the commencement of this Act in any local area, the State Government may by notification in the official Gazette exclude any class of children or youthful offenders from the operation of all or any of the provisions of this Act.

Definitions

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
  - (1) "approved school" means a school established or certified under this Act;
- -----
  - 1. For S. O. R., see Gaz. dated Sep. 23, 1950.
  - 2. Refer to the footnote appearing on page 29.

- (2) "brothel" means a building or place, or any part as thereof, occupied or let or intended to be occupied or let, as a single tenement, for use by more than one person for the purposes of prostitution;
- (3) "Chief Inspector" means the Chief Inspector appointed under section 50;
- (4) "child" means a person under the age of sixteen years;
- (5) "fit person' in relation to the care of any child or youthful offender includes any society, institution or body corporate established for the reception or protection of poor children or the prevention of cruelty to children, which undertakes to bring up or to give facilities for bringing up any child or youthful offender entrusted to its care in conformity with the religion of its birth:
- (6) "guardian" in relation to a child or youthful offender includes any person who, in the opinion of the Court having cognizance of any proceedings in relation to the child or youthful offender or in which the child or youthful offender is concerned has for the time being the actual charge of or control over the child or youthful offender;
- (7) "juvenile court" means a Court established under sub-section (1) of section 60 and includes a Court sitting in the manner provided by sub-section (2) of that section;
- (8) "public place" includes any public park garden or railway station and any ground, building or premises to which the public for the time being have or permitted to have access whether on payment or otherwise;
- (9) "place of safety" means any observation home or any orphanage, hospital, or any other suitable place or institution the occupier or manager of which is willing temporarily to receive a child; or where such observation home, orphanage, hospital or other suitable place or institution is not available in the case of a male child only, a police station in which arrangements are available or can be made for the safe-keeping of a child separately from adult offenders;
- (10) "Reformation Officer" means an officer appointed under section 34;
- (11) "prescribed" means prescribed by rules;
- (12) "street" includes any highway and any public bridge, road, lane, footpath, square, court, alley or pas5:ltge, whether It through fare or not; and
- (13) "youthful offender" means any child who has been found to have committed an offence punishable with transportation or imprisonment.

#### **CHAPTER II**

#### CHILDREN IN NEED OF CARE OR PROTECTION

Power of court in respect of children needing care or protection 3.

- (1) Any police officer or other person authorized in this behalf in the manner prescribed may bring before a court any person apparently under the age of sixteen years who-----
  - (a) is found wandering and not having any home or settled place of abode, or visible means of subsistence, or is found wandering and having no parent or guardian or having a parent or guardian who is incapable of exercising or does not ordinarily exercise proper care and guardianship over him, or
  - (b) is found begging or receiving alms (whether or not there is any pretence of singing, playing, performing, offering anything for sale or otherwise) or being in any street, premises or place for the purpose of so begging or receiving alms, or
  - (c) is found destitute, and whose parents or surviving parent, and in the case of an illegitimate child whose mother, or other guardian are or is, undergoing a sentence of transportation or imprisonment, or .
  - (d) is under the care of a parent or guardian who, by reason of criminal or drunken habits, is unfit to have the care of the child or who habitually neglects or cruelly ill-treats child, or
  - (e) frequents the company of any reputed thief, or
  - (f) is living lodging or residing in a house or part of a house used by any prostitute for the purposes of prostitution or is otherwise in circumstances calculated to cause, encourage or favour his seduction or prostitution, or
  - (g) is otherwise likely to fall into bad association or to be exposed to moral danger, or to enter upon a life of crime :

Provided that where any such child has a parent or guardian who has actual charge or control over the child, the person or the officer aforesaid, as the case may be, shall in the first instance make a report to the nearest Court and such Court; may call upon such parent or guardian to show cause why the child should not during the pendency of the proceedings be removed from his care and may, on suitable sureties being offered for the safety of such child and for his being brought before the Court, permit the child to remain in the actual charge of his parents or guardian or may order his removal till the Court passes orders under this Act.

Explanation-- A child shall not be treated as corning within the description contained in sub-clause (f), if the house in which he is lodging or-residing is the house of his mother, who is a prostitute.

- (2) If the Court is satisfied on enquiry that such person is a child and is as described within the provisions of sub- section. (1) and that it is expedient to deal with him the Court may either-
  - (a) order him to be sent to an approved school or to the care of any fit person, whether a relative or not, who is willing to undertake the care until such child attains the age of 18 years or for such shorter period as may be specified, or;
  - (b) order his parent or guardian, if any, to enter into a recognizance to exercise proper care and guardianship for specified period not exceeding three years, or
  - (c) without making any other order, or in addition to making an order under either of the preceding paragraphs, make an order placing him for a specified period, not exceeding three years, under the supervision of a Reformation Officer or of some other person appointed for the purpose by the Court.
- (3) If, after enquiry, the Court is satisfied that the child has been living by begging at the instance of and for the profit of any person who is a professional keeper of begging children, the Court may direct such person to appear before it and, after hearing him, may direct him to pay toward the cost of proceedings any amount not exceeding twenty-five rupees and such cost shall be realizable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, as if it were a fine.

Sending of child, having place of residence outside the jurisdiction of the Court 4. In the case of child whose ordinary place of residence lies out-side the jurisdiction of the Court before which it is brought, the Court may, if satisfied after due inquiry that if is expedient so to do, send the child back to a relative or a fit person who is fit and willing to receive him and exercise proper care and control of him.

Power of the parent or guardian to bring child before Court

5. Where the parent or guardian of a child applies to a Court that he is unable to control the child and prays that the child be sent to an approved school, the Court, if satisfied after enquiry that it is expedient so to deal with the child, and that the parent or guardian understands the result which will follow, may order the child to be sent to any such school or may order him to be placed for a specified period, not exceeding three years, under the supervision of a Reformation Officer.

Interim order by court

6.

Where at any stage of a proceeding under this Chapter the Court be considers it expedient in the interest of the child, it may make such interim order as it thinks fit for the detention or continued detention of the child in a place of safety or for his committal to the care of a fit person who is willing to take care of him.

#### **CHAPTER III**

#### OFFENCES AGAINST CHILDREN AND THEIR PREVESTION

### Punishment for cruelty to children

- 7. (1) Whoever having the actual charge of or control over a child abandons, exposes or willfully neglects, assaults or ill-treats such child in a manner likely to cause such child unnecessary suffering or injury to his health shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.
  - (2) For the purposes of this section injury to health includes injury to, or loss of, sight or hearing and injury to limb or organ of the body and any mental derangement and a parent or other person legally liable to maintain a child shall be deemed to have neglected him in a manner likely to cause injury to his health if he wilfully fails to provide adequate food, clothing medical aid or lodging for the child.
  - (3) A person may be convicted of an offence under this section notwithstanding that the actual suffering or injury to health was obviated by the action of another person.
  - (4) Nothing in this section shall be construed to take away or affect the right of any parent teacher or other person having the lawful control or charge of child to administer punishment to such child.

### Causing or allowing child to bag

- 8. (1) Whoever for his own profit causes any child or having the actual charge of or control over a child allows that child to be in any street, premises or peace for the purpose of begging or receiving alms, or of inducing the giving of alms whether or not there is any pretence of singing, playing, performing, offering anything for sale or otherwise shall be punishable with imprisonment of either deception for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one hundred rupees or with both.
  - (2) The State Government may, by notification in the official Gazette, exempt from liability to punishment under this section any class of persons in any district or place where this Act may be in operation.

#### Penalty for being drunk while in charge of a child

9. If any person is found drunk in any public street or other public place whether a building or not while having the charge of a child apparently under the age of seven years and if such person is incapable by reason of his drunkenness of taking due care of the child, he may be arrested and shall, if the child is under that age, he punishable with fine which may extend to fifty rupees.

Explanation--- for the purposes of this section a child shall be deemed to be under the age of seven if it appears to the court to be under that age unless the contrary is proved.

Penalty for giving intoxication drug or liquor to a child 10.

11.

12.

13.

14.

Whoever in any public street or other public place, whether a building or not causes to be given to any child any intoxicating drug or liquor except upon the order of duly qualified medical practitioner, or in case of sickness or other urgent cause, shall be punishable with fine, which may extend to fifty rupees.

Penalty on selling cigarettes, etc. to children If any person sells to a person apparently under the age of 12 years any cigarette, cigarette paper, bidis, tobacco or smoking mixture, whether for his own use, or not, he shall be liable in the case of the first offence to a fine not exceeding Rs. 25 and in the case of the second or subsequent offence to a fine not exceeding Rs. 100.

Explanation--- for the purposes of this section and the next following section, the expression cigarette" includes out tobacco rolled up in paper, tobacco leaf or other material in such form as to be capable of immediate use for smoking.

Seizure by police officer of any bidis, cigarettes, tobacco or smoking mixture in possession of child

It shall be the duty of a police officer to seize any bidis, cigarettes, tobacco or smoking mixture in the possession of a child whom he finds smoking in any street or public place and any bidis, cigarettes, tobacco or smoking mixture so seized shall be forfeited to State Government and every such police officer shall be authorized to search any child so found smoking but not a girl.

Penalty for taking pawn from a child Whoever takes an article in pawn from a child whether offered by that child on his own behalf or on behalf of any other person shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both.

Allowing child to be in brothel

Whoever having the actual charge of or control over, child between the ages of four and sixteen allows or permits that child to reside in or frequent brothel, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Causing or encouraging seduction etc.

15. (1) Whoever having the actual charge of, or control over, a girl under the age of eighteen years causes or encourages the seduction which shall include inducement or indulge in immoral behavior or prostitution of that girl of causes or encourages anyone other than her husband provided his wife has attained the age of fourteen years to have sexual intercourse with her shall, on conviction be punished with imprisonment of either descript ion for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) For the purposes of this section a person shall be deemed to have caused or encouraged the seduction of a girl or to have induced her to behave immorally, if he has knowingly allowed the girl to consort with, or to enter or continue in the employment of, any prostitute, or person of known immoral character.

Young girls exposed to risk of seduction etc. or cruelly treated 16.

17.

If upon a complaint it appears to the Court that it girl under the age of sixteen is being treated with cruelty by her parent or guardian or that such girl with or without the knowledge of her parent or guardian is exposed to the risk of seduction or prostitution or of living a life of prostitution, the court may direct the parent or guardian to enter for a specific period into a recognizance to exercise due Care and supervision in respect of such girl.

Seduction or outrage of modesty whoever seduces or indulges in immoral behavior with a girl under the age of sixteen year shall, on conviction, be punished with imprisonment of either description for it term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

# Exploitation of child employees

- 18. (1) Whoever secures a child ostensibly for the purpose of menial employment or for labour in a dock factory or other establishment, but in part exploits the child for his own ends withholds or lives on his earnings, shall on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees.
  - (2) Whoever secures a child ostensibly for any of the purposes mentioned in sub-section (1), and exposes such chill to the risk of seduction, sodomy, prostitution or other immoral conditions, shall on conviction, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or' with both.
  - (3) Any person who knowingly avails himself of the labour of a child exploited in the manner referred to in sub-section (1) or (2) or for whose immoral gratification such child is used shall be liable as an a better.

# Detention of child in place of safety

- 19. (1) Any police officer, not below the rank of Sub-Inspector or a person authorized in the manner prescribed may take to a place of safety any child in respect of whom an offence punishable under this Act or under Chapter XVI of the Indian Penal Code, 1860, has been or there is reason to believe has been or is likely to be committed.
  - (2) A child so taken to a place of safety and also any child who seeks refuge in a place of safety may be detained there until he can be brought before the court, but, such detention shall not in the absence of a special order of the court, exceed a period of twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of detention to the court and the court may make such order as is mentioned in the next following sub-section or may cause the child to be dealt with as circumstances may admit and require until the charge made against any person in respect of any offence as afore aid with regard to the child has been determined by the conviction, discharge or acquittal of such person.

(3) Where it appears to the Court that all offence as aforesaid has been or is likely to be committed in respect of any child who is brought before the court and that it is expedient in the interest of the child that an order should be made under this subsection the court may make such order as circumstances may admit and' require for the care and detention of the child until a reasonable time has elapsed for a charge to be made against some person for having committed the offence and if a charge is made against many person within that time, until the charge has been determined by the conviction, discharge or acquittal of that person and in case of conviction for such for the time not exceeding one month as the court, which convicted, may direct and any such order may be carried out notwithstanding that and person claims the custody of the child.

Disposal of child by order of court

20. (1) Where any person having the actual Charge of or control over a child has been-

- (a) convicted of committing in respect of such child an offence punishable under this Act or under Chapter -XVI of the Indian Penal Code, 1860; or
- (b) committed for trial for any such offence; or
- (c) bound over to keep the peace towards such child by any court;

that court may either at the time when he person is so convicted. committed or trial or bound over or at any other time, order that, the child be taken out of the charge and control of the person so convicted, committed for trial or bound over and be committed to the care of a relative of the child or other fit person named by the court (such relative or other person being willing to undertake such care) until he attains the age of eighteen years or for any shorter period and that court or any court of like jurisdiction may, of its own motion or on the application of all person, from time to time by order renew, vary and revoke any such order.

- (2) The court which makes an order committing a child to the care of a relative or other fit person under this section may require such relative or other person to execute a bond, with or without sureties, to be responsible for the good behavior of the child and for the observance of such other condition as the court may impose for securing that the child may lead an honest and industrious life and in addition order that the child be placed under the supervision of person named by the court,
- (3) if the child has a parent or legal guardian, no order shall be made under this section unless----
  - (a) the parent or legal guardian has been convicted of or committed for trial for the offence or has been bound over to keep the peace towards the child or cannot be found, or

(b) the court has reason to believe that the parent or legal guardian has either been party or privy to the offence or has by any act or omission facilitated the offence, or is otherwise unfit to have the care of the child:

Provided that if the court think fit, it may, on such parent or guardian giving an undertaking with or without sureties in a prescribed form to the court allow such child to remain in the custody of ouch parent or legal guardian subject to the supervision of a person named by the Court,

- (4) Every order under this section shall be in writing and any such order may be made by the court in the absence of the child and the consent or any person to undertake the care of the child in pursuance of any such order shall be taken in such manner as the court may think sufficient to bind him,
- (5) Where an order is made under this section and the conviction or order binding the person to keep the peace is set aside or the person is acquitted, the order shall forthwith be void except with regard to anything that may have been lawfully done under it,
- (6) The court, instead of ordering the child to be committed to the care of a relative or other fit person, may order that the child shall be sent to an approved school.

Warrant to search for child illtreated

- 21. (1) If it appears to a magistrate duly empowered under this Act, from information on oath or solemn affirmation laid by any person who in the opinion of the magistrate is acting in the interests of a child that there is reasonable cause to suspect that-
  - (a) the child has been or is being wilfully ill-treated or neglected in any place within its jurisdiction in a manner likely to cause the child unnecessary suffering or to be injurious to health; or -
  - (b) an offence punishable under this Act, or under Chapter XVI of the Indian penal Code, 1860, has been or is being committed in respect of the child;

the Magistrate may issue a summons in the first instance against the person or persons in whose care, custody or control such child is, to produce forthwith the said child in court, or may issue a warrant authorizing any police officer named therein to search for such child and if it is found that he has been or is being wilfully ill-treated or neglected in the manner aforesaid or that any offence as aforesaid has been as is being committed in respect of the child to take him to and detain him in a place of safety until he call be brought before the Magistrate, or authorizing any police officer to remove the child with or without search, to a place of safety and detain him there until he can be brought before the Magistrate and the Magistrate before whom the child is brought may commit him to the care of a relative or other fit person in like manner as if the person in whose charge or control he was committed for trial for an offence punishable under this Act:

Provided that if the said child is in the custody or control of a parent or guardian who being a female does not according to the customs and manners of the country appear in public the Magistrate shall ordinarily issue a summons and the person to whom such summons is issued shall be deemed to have complied with the summons if instead of personally attending in court she causes the aid child to be produced in court.

- (2) A Magistrate issuing a warrant under this section may in his discretion by the same warrant direct that any person accused of any offence in respect of the child be apprehended and brought before him, or direct that, if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the Magistrate at a specified time and thereafter until otherwise directed by the Magistrate, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody.
- (3) The police officer executing the warrant shall be accompanied by the person laying the information if such person so desires and may also if the Magistrate by whom the warrant is issued so directs be accompanied by a duly qualified medical practitioner.
- (4) In any information or warrant under this section the name of the child shall be given if known.

Compensation for false and frivolous or vexatious information

- 22. (1) If any case in which an information has been laid by any person under the provisions of section 21 the Magistrate after such inquiry as he may deem necessary is of opinion that such information was false and either frivolous or vexatious the Magistrate may for reasons to be recorded in writing direct that compensation to such an amount not exceeding five hundred rupees as he may determine be paid by such informer to the person against whom the information was laid.
  - (2) Before making any order for the payment of compensation, the Magistrate shall call upon the informer to show because why he should not pay compensation and shall consider any can e which such informer may show.
  - (3) The Magistrate may by the order directing payment of the compensation further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall suffer simple imprisonment or a period of forty-five days.
  - (4) When any person is imprisoned under sub-section (3), the pro- visions of sections 68 and 69 of the Indian Penal Code, 1860, shall, so far as may be, apply.
  - (5) No per on who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect, of the information given by him but any amount paid as compensation shall be taken into account in any sub- sequent civil suits relating to such matter.
  - (6) An informer who has been ordered to pay compensation exceeding fifty rupees may appeal from the order as if such informer had been convicted on a trial held by the Magistrate directing the payment of compensation.

(7) When an order for the payment of compensation is made in a case which is subject to appeal under sub-section (6) the compensation shall not be paid to the person ordered to receive it before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented, before the appeal has been decided and where such order is made in a case which is not subject to appeal the compensation shall not be paid before the expiration of one month from the date of the order.

#### **CHAPTER IV**

#### YOUTHFUL OFFENDERS

Bail of children

23. (1) When a person apparently under the age of sixteen years is arrested for a non-bailable offence and cannot be brought forthwith before a court, the officer-in-charge of the police station to which such person is brought may, in any case and shall unless the offence is one of culpable homicide or is an offence punishable with death of transportation, release him on hail if sufficient security is for the coming unless, for reasons to be recorded in writing, the officer believes that such release would bring him into association with any reputed criminal or expose him to moral danger or that his release would defeat the ends of justice:

Provided that where a girl apparently under the age of sixteen years in arrested the officer in charge of a police station who has made the arrest or before whom the girl is brought shall release her at once if any person who is a relative of the girl or a society or institution of the same religious persuasion as the girl, who in his opinion is a sufficient and suitable surety enters into a bond for such sum of money as the officer considers sufficient to produce her before the court or to appear in her stead if required at the police station.

(2) For the purposes of this section the expression 'relative', means parents, grand-parents, brothers, sisters, uncles, aunts and first cousins.

Custody of children not released on bail 24. Where a person apparently under the age of sixteen years having been arrested is not released under section 23 or otherwise, the officer in charge of the police station shall cause him to be detained in the prescribed manner until he can be brought before a court:

Provided that the period of detention shall in no case, in the absence of a special order of a court, exceed twenty-four hours, exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the court.

Remand or committal to custody

25. A Court, on remanding or committing for trial a child who is not released on bail, shall order him to be detained in the prescribed manner.

Attendance in court of parent of child

26.

(1) Where a child is charged with any offence or is brought before a court on an application for an order to send him to an approved school, his parent or guardian may, in any case, and shall if he can be found and resides within a reasonable distance, be required to attend at the court before which the case is heard during all the stages of the proceedings unless the court is satisfied that it would be unreasonable to require his attendance.

- (2) Where a child is arrested, the officer –in-charge of the police station to which he is brought shall require the parent or guardian of the child if he can be found, to attend the court before which the child shall be produced.
- (3) The parent or guardian whose attendance shall be required under this section shall be the parent or guardian having the charge of or control over the child:

Provided that if such parent or guardian is not the father, the attendance of the father may also be required.

- (4) The attendance of the parent of a child shall not be required under this section in any case where the child was, before the institution of the proceedings, removed from the custody or charge of his parent by an order of a court.
- (5) Nothing in this section shall be deemed to require the attendance of the mother or the female guardian of a child if such mother or female guardian does not, according to custom, appear in public, but any such mother or female guardian may appear before the court by a pleader or agent.

Sentences that may not be passed on child 27.

28.

Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, no court shall sentence a child to death or transportation or imprisonment for any term or commit him to prison in default of payment of fine:

Provided that a child who is twelve years of age or upwards may be committed to prison when the court certifies that he is of so unruly, or of so depraved a character that he is not fit to be sent to an approved school and that none of the other methods in which the case may legally be dealt with is suitable.

No preceding under Chapter VIII of the Code of Criminal procedure, 1898 against child Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 no proceedings shall be instituted and no order shall be passed against a child under Chapter VIII of the said Code.

Commitment of child to approved school

- 29. (1) Where a child is found to have committed an offence punishable with transportation or imprisonment, the court, if satisfied on inquiry that it is expedient so to deal with the child, may order him to be sent to an approved school for such period of stay as will not exceed beyond the time when the child will attain the age of 18 years or for a shorter period, the reasons for such period to be recorded in writing.
  - (2) Where prior to the commencement of this Act a youthful offender has been sentenced to transportation or imprisonment, the State Government may direct that in lieu of undergoing or completing such sentence he shall, if under the age of sixteen years, be sent to an approved school, and thereupon the offender shall be subject to all the provisions of this Act as if he had been originally ordered to be detained in such school.

Power to discharge youthful offender or to detain into suitable custody

- 30. (1) A court may, if it thinks fit, instead of directing any youthful offender to be detained in an approved school, order him to be----
  - (a) discharged after due admonition; or
  - (b) released on probation of good conduct and committed to the care of his parent, guardian or other adult relative or other fit person on such parent, guardian, relative or person executing a bond, with or without sureties, as the court may require, to be responsible for the good behaviour of the youthful offender for any period not exceeding three years and for the observance of such other conditions as the court may impose for securing that the youthful offender may lead an honest and industrious life.

The Court may order that the youthful offender released under this clause may be placed under the supervision of a Reformation officer or of some other person appointed for the purpose by the court.

(2) If it appears to the court on receiving a report from the Reformation Officer or otherwise that the offender has not been of good behaviour during the period of the probation, it may after making such inquiry as it thinks fit, order the offender to be detained in an approved school.

Power to order parent of child to pay fine

- 31. (1) Where a child is found to have committed an offence punishable with fine and the court is of opinion that the case would be best met by the imposition of a fine, whether with or without any other punishment the court may in any case and shall, if the offender is a child under twelve years of age, order that the fine be paid by the parent or guardian of the child unless the court is satisfied that the parent or guardian cannot be found or that he has not conduced to the commission of the offence by neglecting to exercise due care of the child.
  - (2) An order under this section may be made against a parent or guardian who, having been required to attend, has failed to do so, but save as aforesaid, no such order shall be made without giving the parent or guardian an opportunity of being heard.
  - (3) Where a parent or guardian is directed to pay a fine under this section, the amount may be recovered in accordance with the provisions of the code of Criminal procedure, 1898.
  - (4) A parent or guardian may appeal against any such order as if it had been an order passed in proceedings against him.

Detention in case of certain crimes by children

- 32. (1) When a child is found to have committed an offence of so serious a nature that the court is of opinion that no punishment which under the provisions of this Act it is authorized to inflict is sufficient, the court shall order the offender to be kept in safe custody in such place or manner as it thinks fit and shall report the case for the orders of the State Government.
  - (2) Notwithstanding the provisions of section 13 the State Government may order any such child to be detained in such place and on such conditions as it thinks fit, and while so detained the child shall be deemed to be in legal custody:

Provided that no period of detention so ordered shall exceed the maximum period of imprisonment to which the child could have been sentenced for the offence committed.

Methods of dealing with children charged with offences 33.

Where a child charged with any offence is tried by any court, and the court is satisfied of his guilt the court shall, before passing orders, take into consideration the manner in which, under the provisions of this or any other Act enabling the court to deal with the case, the case should be dealt with, namely, whether

- (a) by discharging the offender after due admonition; or
- (b) by committing the offender to the care of his parent, guardian, other adult relative or other fit person or such parent, guardian, relative or person executing a bond to be responsible for his good behaviour; or
- (c) by so discharging the offender and placing him under the supervision of a person named by the court; or
- (d) by committing the offender to the custody of any suitable person, whether a relative or not, who is willing to undertake the care of the offender; or
- (e) by releasing the offender on probation of good conduct; or
- (f) by sending the offender to an approved school; or
- (g) by ordering the offender to pay a fine; or
- (h) by ordering the parent or guardian of the offender to pay a fine; or
- (i) by dealing with the case in any other manner in which it may be legally dealt with; or
- (j) when the offender is a child of twelve years of age or up-wards by sentencing him to imprisonment:

Provided that nothing in this section shall be construed as authorizing the court to deal with any case in any manner in which it could not deal with the case but for this section.

#### **CHAPTER V**

# REFORMATION OFFICERS AND OTHER PERSONS ENTRUSTED WITH THE SUPERVISION OF CHILDREN AND YOUTHFUL OFFENDERS

Appointment of Reformation Officer

34.

A Reformation Officer shall be---

- (a) any person appointed to be a Reformation Officer by the State Government, or
- (b) any person provided for this purpose by a society recognized in this behalf by the State Government; or
- (c) in any case where so necessary any other person appointed from time to time by the court subject to any general or special orders of the State Government.

#### Duties of Reformation Officers

- 35. A Reformation Officer shall, subject to the rules made under this Act and to the directions of the court----
  - (a) visit or receive visits from the child or youthful offender at such reasonable intervals as may be specified in the order passed by the court or subject thereto, as the Reformation Officer may think fit;
  - (b) see that the relative of the child or the youthful offender, as the case may be, or other person to whose care such child or youthful offender is committed, observe the conditions of the bond:
  - (c) report to the court as to the behavior of the child or the youthful offender, as the case may be;
  - (d) advise, assist and befriend the child or the youthful offender, and when and where necessary, endeavor to arrange for his education or to find him suitable employment; and
  - (e) per form any other duty which may be prescribed, or which the court orders.

## Duties of other 36. persons

37.

38.

Any person under whose supervision a child or youthful offender has been placed by an order of a court under the provisions of Chapters II and III of this Act shall, subject to rules made in this behalf, have, so far as it may be possible, the same duties as a Reformation Officer under the preceding section.

#### Death or incapacity of Reformation Officer or other person

Where the Reformation Officer or other person named in an order to court under the provisions of Chapter II and III of this Act placing a child or youthful offend or under supervision, has died or is unable for any reason to carry out his duties, or where it is made to appear that it is desirable that another person should be appointed in the place of that officer or person, the court may appoint another Reformation Officer or person to act in his place.

# CHAPTER VI MAINTENANCE AND TREATMENT OF PERSONS SENT TO APPROVED SCHOLLS OR COMMITTED TO SUITABLE CUSTODY

## Contribution of parent

- (1) The Court which makes an order for the detention of a child or youthful offender in an approved school or for the committal of a child or youthful offender to the care of a relative or other fit person may make an order to the parent or such other person liable to maintain the child or youthful offender to contribute to his maintenance, if able to do so in the prescribed manner.
  - (2) The court before making any order under sub-section (1) shall enquire into the circumstances of the parent or other person liable to maintain the child or youthful offender and shall record the evidence, if any, in the presence of the parent or such other person, as the case may be, or when his personal attendance in dispersed with in the presence of his pleader.

Act no. V of 1898

- (3) An order made under this section may be varied by the court from time to time.
- (4) The persons liable to maintain a child or youthful offender shall for the purposes of sub-section (l) include any person in whose keeping the mother of the child or youthful offender is at the time "hen any order as aforesaid is made whether be is his putative father or not and in the case of illegitimacy his putative father:

Provided that where the child or youthful offender is illegitimate and an order for his maintenance has been made under section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898,the court shall not ordinarily make an order for contribution against the putative father, but may order the whole or any part of the payments accruing due under the said order for maintenance to such person or persons as may be named by the court to be applied by him or them, as the case may be, towards the maintenance of the child or the youthful offender.

- (5) Whether a parent or other person has been ordered under this section to contribute to the maintenance of a child or youthful offender, he shall give notice of any change of address to the court which passed the order and if he fails to do so without reasonable excuse he shall be punishable with a fine with may extend to twenty five rupees.
- (6) An order under this section may be enforced in the same manner as an order under section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898.
- (7) A child including youthful offender in remuneration or possessing property yielding income shall pay such proportion of his earnings as may be ordered by the State Government towards his maintenance.

Boarding out of children

39.

Where a child under the age of six years is sent to an approved school the manager of that school may with the consent of the Chief Inspector board the child out with any person appointed in accordance with section 74 until the child reaches the age of 10 years and thereafter for such longer period, with the consent of the Chief Inspector as the manager considers to be advisable in the interest of the child, subject to the exercise by the manager of such powers as to supervision, recall and otherwise as may be prescribed, and where a child is 80 boarded out he shall nevertheless be deemed for the purposed of this act to be a child detained in the school and the provisions of this Act shall apply accordingly, subject to such necessary adaptations a may be made by the State Government:

Provided that nothing in this section shall be construed authorizing a court to send a child under the age of six years to an approved school except in accordance with the provisions of section 69.

Placing out on licence

40. (1) Where a child or youthful offender is detained in an approved school the manager of the school may, at any time with the consent of the Chief Inspector, by license permit the child or youthful offender on the conditions prescribed in this behalf to live with any fit person named in the licence willing to receive and take charge of him with a view to educate him or train him for borne useful trade or calling.

- (2) Subject to the prescribed conditions, the Chief Inspector may, on the recommendation of manager of an approved school at any time after the expiration of six months from the commencement of the detention of a youthful offender in an approved school aid if satisfied that there is a reasonable probability that the youthful offender will abstain from crime and lead a useful and industrious life, release such offender from the school and grant him a written licence in the prescribed form, permitting him to live under the supervision and authority of such fit person approved by the Chief Inspector as mar be willing to take charge of the offender.
- (3) Any licence granted under sub-section (1) or (2) shall be in force until revoked or forfeited for breach of any of the conditions on which it was granted.
- (4) The manager of the school or the Chief Inspector, as the case may be, may at any time by order in writing revoke any such licence and order the child or youthful offender to return to the school and shall do so at the desire of the person or society with whom or under whose supervision the child or youthful offender is licensed to live, If the child or youthful offender refuses or fails to return to the school, the manager of the school or the Chief Inspector, as the case may be, may, if necessary, arrest, or cause to be arrested, the child or youthful offender and take him or cause him to be taken back to school.
- (3) Where a licence has been revoked or forfeited and the child or youthful offender refuses or fails to return to the school the court may, if satisfied on information on oath or solemn affirmation that there is reasonable ground for believing that his parent or guardian could produce the child or youthful offender, issue a summons requiring the parent or guardian to attend at the court on such day as may be specified in the summons and to produce the child or youthful offender and if he fails to do so without reasonable cause he shall, in addition to any other liability to which he may be subject under the provisions of this Act, be punished with fine which may extend to one hundred rupees.
- (6) Where a parent or guardian is directed to pay fine under this section the amount may be recovered in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898,
- (7) The time during which A child or youthful offender is absent, from un approved school in pursuance of a licence under this section shall be deemed to be part of the time of his detention in the school, provided that where a child or youthful offender has failed to return to the school on the licence being revoked or forfeited, the time which elapsed after his failure so to return shall be excluded in computing the time during which he is to he detained in the School.

Penalty abetting escape of child or youthful offender

#### 41. Whoever---

(a) knowingly assists or induces, directly or indirectly a child or youthful offender detained in or placed out on licence from an approved school to escape from the school or from the school or from any person with whom he is placed out on licence, or any child or youthful offender to escape from the care of the person to whose care he is committed under the provisions of this Act, or

[Section 42-44]

(b) knowingly harbours, conceals, connives at or prevents from returning to school or to any person with whom he is placed out on licence or to whose care he is committed under this Act, a child or youthful offender, who has so escaped, or knowingly assists in or connives at so doing, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two months or with a fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

Action by police with regard to escaped children

- 42. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, any police officer may take charge, without a warrant, of a child who has escaped from an approved school or from THE custody of fit person under whose supervision he was directed to remain, and shall send the child back to the approved school or to the custody of the fit person without registering any proceedings in respect of the child, and the said child shall not be deemed to have infringed the law by reason of such escape, but he shall be dealt with by the authorities of the school or the fit person concerned in such manner as they think fit, provided such authorities or person shall at the same time inform the court by which the child was originally sent.
  - (2) When a child absconding from an approved school or from the custody of a fit person has been taken charge of at a different place, he shall be kept In a place of safety pending his removal to the approved school or to the custody of fit person.

Transfer from one approved school to another

43.

The Chief Inspector may at any time for reasons to be recorded in writing direct any child or youthful offender' to be transferred from one approved school to another:

Provided that the total period of detention of the child or youthful offender shall not be increased by such transfer.

## Discharge or transfer

- 44. (1) The State Government may at any time discharge a child or youthful offender from the care of any person to whose care he is committed under this Act, either absolutely or on such conditions as the State Government approve.
  - (2) The State Government may at any time order a child or youthful offender to be discharged from an approved school, either absolutely or on such conditions as the State Government approve.
  - (3) The State Government may order a youthful offender over the age of fifteen years detained in an approved school to be transferred to a Borstal institution established under the United Provinces Borstal Act, 1938 in the interest of discipline or for other special reasons:

Provided that the total period of detention of such youthful offender shall not be increased by such transfer.

(4) Upon the transfer of a youthful offender to a Borstal institution under the preceding sub-section, the provisions of the United Provinces Borstal Act, 1938, shall apply to such offender as if he had been originally ordered to be detained in a Borstal institution under that Act.

## Period of detention

45. The period for which a child or youthful offender is to be detained in an approved school shall be specified in the order in pursuance of which he is sent there and shall be such period not less than two years in the case of a youthful offender who at the time of the order is over fifteen years and three years in the case of any other youthful offender as the court may deem proper for his teaching and training but not in any case extending beyond the time when he will in the opinion of the court attain the age of eighteen years.

Transfer between approved schools and schools of like nature in different parts of India

- 46. (1) The State Government may, in consultation with the manager of any approved school, consent to the transfer to that school of any person under the age of eighteen years in respect of whom an order has been made by competent authority in any other part of India of the nature of an order under this Act or the Reformatory Schools Act, 1897, for sending such person to an approved school or a reformatory school or any school of a like nature.
  - (2) The State Government may direct any child or youthful offender to be transferred from any approved school to any school of a like nature in any other part of India in respect of which similar provision is made by the Government of that part under any law in force therein:

Provided that no child or youthful offender shall be transferred under this section to any other State without the consent of the Government of that State.

Transfer of children of unsound mind or suffering from leprosy and other contagious diseases

- 47. (1) Where it, appears to the State Government that any child kept in an approved school or in the care of a fit person under any order of a court is a leper or is suffering from a disease which is declared by the State Government in the manner prescribed to be contagious (hereinafter called a contagious disease), the State Government may, by an order setting forth the grounds of belief that the child is a leper or is suffering from a contagious disease, order his removal to a leper asylum or other place of safe custody, there to be kept and treated as the State Government directs during the remainder of the term for which he has been ordered to be kept or, if on the expiration of that term it is certified by a medical officer that it is necessary for the safety of the child or of others that he should be further kept under medical care or treatment, then until he is discharged according to law.
  - (2) Where it appears to the State Government that any child kept. in an approved school or in the care of a fit person under any order of a court, is of unsound mind, the State Government may, by an order setting forth the grounds of belief that the child is of unsound mind, order his removal to a mental hospital or other place of safety there to be kept and treated as the State Government directs during the remainder of the term for which he has been ordered to be kept or, if on the expiration of that term it is certified by a medical officer that it is necessary for the safety of the child or of others that he should be further kept under medical care or treatment, then until he is discharged according to law.

- (3) Where it appears to the State Government that the child ha become of sound mind, or is cured of leprosy, or of the contagious disease, the State Government shall, by an order directed to the person having charge of the child if still liable to be kept in custody, send him to the approved school or fit person from where he was removed, or if the child is no longer liable to be kept in custody, order him to be dis-charged.
- (4) The provisions of section 31 of the Indian Lunacy Act, 1912 and section 14 of the Lepers Act, 1898, as the case may be, shall apply to every child confined in a mental hospital or leper asylum under sub- section (1) or (2) after the expiration of the period for which he was ordered to be kept; and the time during which a child is confined in a mental hospital or leper asylum under that sub-section shall be reckoned as part of the period for which he may have been ordered by the court to be kept:

Provided that where the removal of a child due to unsoundness of mind or leprosy is immediately necessary it shall be open to the authorities of the institution in which the child is kept to apply to a court having jurisdiction under the Indian Lunacy Act, 1912, or the Lepers Act, 1898, as the case may be, for an immediate order of committal to mental hospital or a leper asylum until such time as the orders of the State Government can be obtained in the matter.

#### **CHAPTER VII**

#### APPROVED SCHOOLS AND OTHER INSTITUTIONS

Establishment and certification of schools

- 3. (1) The State Government may establish and maintain school for the reception of children and youthful offenders.
  - (2) The State Government may, on the application of or with the consent of the governing body of any school not established under sub-section (1) certify that such school is fit for the reception of children or youthful offenders to be sent there in pursuance of this Act and may pay to the governing body of such school such contributions as they may think fit for the maintenance thereof.

### Management of school

- 19. (1) For the control and management of every school established under sub-section (1) of section 48, a superintendent and a committee shall be appointed by the State Government, and such superintendent and committee shall be deemed to be the manager of the school for the purposes of this Act.
  - (2) Every school certified under sub-section (2) of section 48 shall be under the management of Such persons as may be approved by the State Government and the persons so approved shall be deemed to be the manager of the school for the purposes of this Act.

# Inspection of approved schools

50. (1) The State Government may appoint a Chief Inspector of approved schools and such number of inspectors and assistant inspectors as it may consider necessary to assist the Chief Inspector; and every person so appointed to assist the Chief Inspector shall have such of the powers and duties of the Chief Inspector as the State Government may direct but shall act under the direction of the Chief Inspector.

(2) Every approved school shall, at least once in six months, be inspected by the Chief Inspector of approved schools or by an inspector or assistant inspector provided that where any such school is for the reception of girls only and such inspection is not made by the Chief Inspector, the inspection shall, where practicable, be conducted by a woman.

## Power of inspectors

An approved school shall be liable to inspection at all times and in all its departments by the Chief Inspector and by the inspector and assistant inspector appointed for the purpose and by such persons as may be empowered by the State Government in that behalf.

# Medical inspector

Any registered medical practitioner empowered in this behalf by the State Government may visit any approved school at any time with or Without notice to its manager in order to report the Chief Inspector on the health of the inmates and the sanitary condition of the school:

Provided that where any such school is for the reception exclusively of girls, a male registered medical practitioner shall not visit such school without giving previous notice to the manager thereof.

#### Power of State Government to withdraw certificate

53.

The State Government, if dissatisfied with the condition, rules, management or superintendence of an approved school may at any time by notice served on the manager of the school declare that the certificate of the school is withdrawn as from a date-specified in the notice and from that date the withdrawal of the certificate shall take effect and the school shall cease to be an approved school:

Provided that the State Government may, if it thinks fit, instead of so withdrawing the certificate, by notice served on the manager of the school, prohibit the admission of children or youthful offenders to the school for such time as may be specified in the notice or until the notice is revoked:

Provided also that before the issue. of notice under this section under the first proviso thereto a reasonable opportunity shall be given to the manager of the school to show cause why the certificate shall not be withdrawn or admission to the school shall not be prohibited as the case may be.

# Resignation of 54. certificate by manager

55.

The manager of an approved school may, on giving six months notice in writing to the State Government through the Chief Inspector of their intention so to do, resign the certificates of the school and at the expiration of six months from the date of such notice unless before that time the notice is withdrawn, the resignation of the certificate shall take effect and the school shall cease to be an approved school.

#### Effect of withdrawal or resignation of certificate

A child or youthful offender shall not be received in an approved school in pursuance of this Act after the. date of the receipt by the manager of the school of the notice of withdrawal of the certificate or after the date of a notice of resignation of the certificate but the obligation hereinafter mentioned of the manager to teach, train, lodge, clothe and feed any child or youthful offender detained in the school at the respective dates aforesaid shall, except in so far as the State Government may otherwise direct, continue until the withdrawal or resignation of the certificate takes effect.

Disposal of inmates on withdrawal or resignation of certificates

56.

Where a school ceases to be an approved school, the children or youthful offender detained therein shall be either discharged absolutely or on such conditions as the State Government may impose or transferred by order of the State Government, to some other approved school in accordance with the provisions of the Act relating to discharge and transfer.

## Auxiliary homes

57. The State Government may establish auxiliary homes for the reception of any inmates or any classes of inmates of approved schools or may certify any other such home heretofore established or which hereafter may be established by any other agency, and the certificates may be withdrawn or resigned in like manner as a certificate of a school and every such home shall for such purposes as may be specified by the State Government be treated as part of the approved school or schools to which it is attached.

## Liabilities of manager

The manager of an approved school not established by the State Government may decline to receive any child or youthful offender proposed to be sent to them in pursuance of this Act, but when they have once accepted any such child or youthful offender they shall be deemed to have undertaken to teach, train, lodge, clothe and feed him during the whole period for which he is liable to be defamed in the school or until the withdrawal or resignation of the certificate of the school takes effect.

# Inspection of institutions for the reception of poor children

- 59. (1) The State Government may cause any institution for the reception of poor children supported wholly or partly by voluntary contributions, and not liable to be inspected by or under the authority of Government to be visited and inspected from time to time at all reasonable hours, by persons appointed by them for the purpose of securing the health and welfare of the children and the sanitation of the premises.
  - (2) Any person so appointed shall have power to enter the institution at all reasonable hours and to make a complete inspection thereof and of all registers and documents relating thereto. Any person who obstructs him in the execution of his duties shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty rupees.
  - (3) Where any such institution is carried on in accordance with the principles of any particular religious denomination the State Government shall, if so desired by the manager of the institutions, appoint, where practicable, a person of that denomination to visit and inspect that institution.
  - (4) Where any such institution is for the reception of girls only, the inspection shall, ordinarily, be conducted by a woman.

#### **CHAPTER VIII**

#### POWERS AND FUNCTIONS OF COURTS HAVING JURISDICTION UNDER THE ACT

Juvenile Court 60. (1) The State Government may establish a juvenile court for any local area in a district and appoint a judge of such court.

(2) For purposes of this Act, a court means the juvenile court established by the State Government for any area and includes a Court of Session and a Magistrate of the first class, specially, empowered to exercise the powers of a court under this Act.

#### Powers of Juvenile Courts and other courts

61. Save as other wise provided in this Act-

- (1) where a juvenile court has been established for and local area such court shall deal all cases in which a child is charged with the infringement of law and shall deal with and dispose of all other proceedings under this Act, but shall not have power to try any case in which an adult is charged with an offence under Chapter III; and
- (2) where a juvenile court has not been established for any local area, no court other than courts empowered under section 60 to exercise the powers of a juvenile court shall have power to deal with any case in which a child is charged with the infringement of law or to deal with or dispose of any other proceedings under this Act.

# Procedure when a magistrate is not empowered to pass an order under this Act

- 62. (1) When any Magistrate not empowered to exercise the powers, of a court under this Act is of the opinion that a child brought before him is a propel; person to be sent to an approved school or to be dealt with in any other manner in which the case may be dealt with under this Act, he shall record such opinion and submit his proceedings and forward the child to the nearest Juvenile Court having jurisdiction in the Case or to the nearest Magistrate empowered to exercise the powers of a court under this Act.
  - (2) The court or the Magistrate to whom the proceedings are so submitted may make such further inquiry, if any, as the Court of Magistrate may think fit and may pass such orders as the Court or Magistrate might have passed if the child had originally been brought before or tried by him.

#### Joint trial of the child and adult

63.

64.

Where a child is charged with an offence together with any, other person not being a child then notwithstanding any thing contained in this Act the child may be tried top ether with the adult in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, and nothing in this Act shall require the child to be tried by a Juvenile Court but the sentence, if any, awarded to the child shall be in accordance with the provisions of this Act.

# Presence of persons on Juvenile courts

Save as provided in this Act, no person shall be present at any sitting of a juvenile court except-

- (a) the members and officers of the Court;
- (b) the parties to the case before the court and other persons directly concerned in the case including the police officers and
- (c) such other persons as the court specially authorizes to be present.

Withdrawal of persons from Juvenile Courts 65.

66.

If at any stage during the course of a trial of a case or proceedings, a juvenile court considers it expedient in the interests of the child to direct any person including the parent, guardian or the spouse of the child or the child himself to withdraw, the court shall be entitled to give such direction and thereupon such person shall withdraw. If any person refuses to withdraw, the court may take steps to remove him.

Dispensing with attendance of child

If at any stage during the course of the trial of a case or of child proceedings, the Court is satisfied that the attendance of a child is not essential for the purposes of the hearing of the case or proceeding the court may dispense with his attendance and proceed with the trial of the case in the absence of the child.

Withdrawal of persons from court when a child is examined as witness

If at any stage during the course of the trial of a case or proceeding in relation to an offence against, or any conduct, contrary to decency or morality, a child is summoned as a witness, any court trying the case or holding the proceedings may direct such persons as it thinks fit, not parties to the case or proceeding, their legal advisers and the officers concerned with the case of proceeding, to withdraw such persons shall then withdraw. If any person refuses to withdraw, the court may take steps to remove him.

Factors to be 68. taken into consideration in passing orders by courts

For the purposes of any order which a court has to pass under this Act, the court shall have regard to the following factors -

- (a) the -age of the child;
- (b) the circumstances in which the child is living;
- (c) the reports made by the Reformation Officer; and
- (d) such other matters as may, in the opinion Of the court, require to be taken into consideration in the interest of the child;

Provided that where a juvenile delinquent is found to have infringed the law, the above factors shall be taken into consideration after the court has recorded a finding against the juvenile delinquent that he has infringed the law.

#### **CHAPTER IX**

#### **GENERAL AND MISCELLANEOUS**

Minimum age 69. for committal to approved schools

A court shall not order a child or young offender under the age often years to be sent to an approved school unless for any reason, including the want of a fit person of his own religious persuasion who is willing to undertake the care of him, it is satisfied that he cannot be dealt with otherwise.

Principles to 70. be observed by courts in dealing with children and young persons

Every court in dealing with a child who is brought before it, either as needing care or as an offender or otherwise shall have regard to the welfare of the child arid shall in a proper case take steps for removing him from undesirable surroundings and for securing that proper provision is made for his education and training.

Probation against publication of certain matter in newspapers 71. (1) No newspaper report of any proceedings under this Act shall reveal the name, address or school, or include any particulars calculated to lead to the identification, of any child concerned in the proceedings, either as being the person against or in respect of whom the proceedings are taken or as being a witness therein nor shall any picture be published in any newspaper as being or including a picture of any child so concerned in any such proceedings as aforesaid:

Provided that the State Government may, in any case, if satisfied that it is in the interests of justice so to do by order dispense with the restriction laid down by this section in such an extent as may be specified in the order.

(2) Any person who publishes any matter in contravention of the provisions of this section shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.

Report of Reformation Officers and other reports to be treated confidential 72. The report of the Reformation Officer or any other report Considered by the court under section 68, shall be treated as confidential.

Presumption and determination of age

- 73. (1) Where a person, whether charged with an offence or not, is brought before any court other wise than for the purpose of giving evidence and it appears to the court that he is a child, the court may make due inquiry as to the age of that person and for that purpose, may take such evidence as may be forthcoming, and may record a finding thereon, stating his age as nearly as may be.
  - (2) A declaration by the court under the preceding sub-section as to the person brought before it being under the age of sixteen years shall for the purposes of this Act be final and no court shall in appeal or revision interfere with any such declaration.

Religious persuasion of persons to whom child is committed

- 74. (1) In determining the schools to which a child or youthful offender is to be sent under this Act, the court shall ascertain the religious denomination of the child or youthful offender and shall, if possible, select a school in which facilities are afforded for instruction in his religion.
  - (2) In determining the person to whose care a child shall be committed under this Act, the court shall ascertain the religious denomination of a person who gives such undertaking as seems to the court sufficient that the child will be brought up in accordance with the religion of the child and such religion shall be specified in the order.
  - (3) In any case where a child has been committed pursuant to any such order to the care of a person who is not the religious denomination of the child or who has not given such undertaking as aforesaid, the court which made the order or any court of like jurisdiction shall, on the application of any person in that behalf and on its appearing that a fit person of the religious denomination of the child or who will give such undertaking as aforesaid is willing to undertake the care of the child, make an order committing him to the care of such fit person.

- (4) When a child is committed to the care of an approved school in which facilities for instruction in his religion are not afforded or to a person who does not give an undertaking that the child entrusted to him will be brought up in his religion the court shall take an under taking from such school or such person that the child shall not be brought up in any religion other than his own.
- (5) Where a child is boarded out, or where a child or youthful offender is permitted by licence to live with any other person, the manager of the school shall select for this purpose a person of the same religion as the child or youthful offender, as the case may be, if such person is available, and if no such person is available a person who gives a satisfactory undertaking that the child or youthful offender shall be brought up in accordance with the religion of such child or youthful offender, and if no such person is available then another person within the provisions of section 39 or 40 as the ease may be.
- (6) When a child has been committed to the care of a person who gives an undertaking as aforesaid but the undertaking is not observed the child shall be liable to be removed from the care of such person and dealt with according to the provisions of sub-section (3) of this section.
- (7) Whenever any person interested in the religion of the child is informed of any attempt at conversion or tampering with his religion he may apply to the court for an enquiry and the court on being satisfied may issue an order removing the said child from the custody of such institution or person and handover the custody to another fit person or institution.

Continuation
of proceedings
against child
on his
attaining
specified age

75.

For the purposes of this Act, a person shall be deemed to be a child, if at the time of the initiation of any proceedings against him under this Act or at the time of his arrest in connexion with which any proceedings are initiated against him under this Act, such person has not attained the age specified in clause (4) of section 2:

Provided that if during the course of the proceedings under this Act such person attains the age specified in the said clause, the proceedings already commenced shall be continued and orders may be passed in respect of such person under this act as if such person was a child notwithstanding anything to the contrary in this Act.

Repeal Act No. V of 1898 76. (1) With effect from the date the Chapters I, III, IV, V, VI, VII and VIII of this Act are brought into force in any area t he provisions of the Reformatory Schools Act, 1897, and sections 29-B and 399 of the Code of Criminal Procedure, 1898 shall cease to apply to such area.

Act no. VIII of 1897

(2) Any youthful offender detained in any reformatory school in any area in pursuance of an order passed by a court under the Re-formatory Schools Act, 1897, before the date on which the said Act ceases to apply to the said area under sub-section (1) shall, from such date, be deemed to have been ordered to be detained as if such youthful offender was originally dealt with under this Act and the Reformatory School in which he was detained shall be deemed to be an approved school established under this Act. Any order of detention or placing out on licence of such youthful offender under the Reformatory Schools Act, 1897, shall from such date, be deemed to be an order passed under the corresponding provision of this Act and the provisions of this Act shall, so far as may be, apply to such youthful offender

Act no. VIII of 1897

accordingly.

77. The Tehri- Garhwal Rajya Bal Dhumrapan Nisedh Act, 1949 be, and is hereby, repealed.

Bond taken under Act no. V of 1898 78.

- The provisions of Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898, Shall, so far as may be, apply to bonds under this Act.
- Appeal and 79. (1) An appeal from an order made by a court under section 3, 29, 30, 31, 38, 40 or 41 revision shall lie-
  - (a) to the Sessions Judge if passed by a juvenile court, or a Magistrate of the First Class specially empowered in his behalf under section 60; and
  - (b) to the High Court if passed by Sessions Judge.
  - (2) An order passed under the provisions of this Act and not subject to appeal under sub-section (1) may be revised by the High Court.

Period of limitation after filling appeals

- 80. An appeal under sub-section (1) of section 79 shall be preferred-
  - (a) where it is an appeal under clause (a) of the said sub-section, within thirty days of the date of order passed by the Juvenile Court or the Magistrate;
  - (b) where it is an appeal under clause (b) of the said sub-section, within 60 days of the date of order passed by the Sessions Judge.

Saving of jurisdiction of Civil Courts

81.

82.

83.

84.

Nothing in this Act shall be construed to affect, or in anyway derogate from, the jurisdiction or authority of the court as defined in sub-section (5) of section 4 of the Guardian and Wards Act, 1890.

Power to amend orders

Without prejudice to the powers of courts of appeal and revision, any custody order or supervision order or probation order may be amended by the court which made the order in respect of the person named as custodian, supervisor or Reformation Officer, the period of such duration' and such matters of detail as may be specified therein.

Removal of disqualificatio n pertaining to convictions

Where a child is found to have infringed the law, the fact that he has been so found shall not have any effect under section 75 of the Indian Penal Code, 1860, or section 565 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or operate as a disqualification for office or any employment or election under any law.

Control over custodian of child

Any person in whose earl' a, child is placed under the provisions of this Act, shall, while the order is in force, have the like control over the child as if he were his parent, and shall be responsible for his maintenance, and the child shall continue in his care for the period stated by the court notwithstanding that he is claimed by his parent or any other person.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

85.

86.

87.

[Section 85-88]

Reformation officers and person authorized to be deemed to be public servants The Reformation Officers and all other persons authorized or entitled to act under any of the provisions of this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

# Protection of action taken under this Act

No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act, save with the permission of the State Government.

# Delegation of powers

All or any of the powers conferred by this Act on the State Government may be exercised or performed by such other officer and subject to such conditions as the State Government may, by notification specify in that behalf.

#### Rules

- 88. (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
  - (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters namely:
    - (a) contents of order committing children or youthful offenders to approved schools or to the care of a fit person;
    - (b) matters incidental to the appointment, resignation and removal of Reformation Officers and the remuneration and expenses payable to them;
    - (c) the duties of Reformation Officers;
    - (d) the, conditions on which societies and institutions may be 'recognized by the State Government for providing Reformation Officers;
    - (e) the manner in which youthful offenders may be released on probation;
    - (f) the conditions subject to which a youthful offender may be released on licence and the form and conditions of such licence;
    - (g) establishment and maintenance of approved schools and auxiliary homes and the certification of such schools as approved schools and of auxiliary homes;
    - (h) the management of approved schools and auxiliary homes;
    - (i) the appointment of visitors and their tenure of office;
    - (j) the inspection of approved schools;
    - (k) the maintenance, educational and industrial, religious or moral or other training of the inmates of approved schools;
    - (1) conveyance of youthful offenders and children to approved schools;
    - (m) the grant of permission to inmates of approved school to absent themselves for short periods;
    - (n) visits to and communication with inmates of approved schools;

[Section 88]

- (o) the punishment for offences committed by inmates of approved schools;
- (P) Inspection of institutions referred to in section 57;
- (q) the manner of detention of children under arrest, re-manded or committed for trial;
- (r) the procedure to be adopted in Juvenile courts;
- (s) the procedure to be adopted in any case or inquiry under this Act before any court other than a juvenile court :
- (t) the manner in which a child may be committed to the care of a relative or other fit person, and the duties of such persons and the supervision of such children:
- (u) the contribution by parents and other persons liable to maintain children and youthful offenders;
- (v) the boarding out of children and the licensing and supervision of children and youthful offenders and the submission of reports regarding them.

#### [See section 2 on first page of this Act]

S. no.	Name of districts	Sections enforced	Date of enforcement	No. and date of notification
1	2	3	4	5
1-	Kanpur, Allahabad, Agra, Varanasi, Lucknow and Bareilly.	All sections	June 23, 1962	627 (P)/36·S.W576 (P).61, dated June 20,1962.
2	Gorakhpur, Ghazipur, Mirzapur, Faizabad, Unnao, Etawah, Jhansi, Mathura, Etah, Meerut, Saharanpur, DehraDun, Tehri-Garhwal, Pauri-Garhwal, NainiTal and Almorah,	-Ditto-	June 23, 1962	627 (P) {iii)·36·S.W-576 (P)-61, dated June 20, 1962
3	Faizabad, Jhansi and Meerut	section 3 to 6, 23 to 76 and 78 to 88.	July 24, 1965	432(p)/36.S.W-48 (p) 65, dated july 12, 1965
4	Moradabad	All section	November 11,1967	4995/36.S.W-32 (p)-67, dated October 30, 1967
5	(a) Basti	Ditto-	September 7, 1968	4670/36.S.W-32 (p)-67, dated August 29, 1968
	(b) Saharanpur and Naini Tal	section 3 to 6, 23 to 76 and 78 to 88	September 7,1968	4670(1)/36.S.W-32 (p)-67, dated August 29,1968
6	Ballia	All section	October 11, 1969	4546/36.S.W-32 (p)-67, dated Sept-25,1969
7	Mirzapur	section 3 to 6, 23 to 76 and 78 to 88.	October 11, 1969	4546/36.S.W-32 (p)-67, dated Sept-25,1969
8	Shahjahanpur and Hardoi	All section	December 11, 1971	5246/36.S.W-32 (p)-67, dated Nov-23,1971
9	Etawah and Ghazipur	section 3 to 6, 23 to 76 and 78 to 88.	December 11, 1971	5246/36.S.W-32 (p)-67, dated Nov-23,1971

-----